राजस्थान सरकार

जिला – चूरू

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना, जिला–चूरू

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय विवरण
1.	आपदा प्रबंधन – राज्य नीति
2.	चूरू जिले की परिचयात्मक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
3.	चूरू जिला – एक दृष्टि में
4.	जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना उद्देश्य
5.	जिले में गत दस वर्षों का विवरण
6.	जिले में रेनगेज स्टेशनों की सूची
7.	आपदा के दौरान प्रबंधन हेतु सामान्य कार्ययोजना
8.	आपदा से पूर्व एवं पश्चात किये जाने वाले उपाय एवं समन्वय
9.	आपदा के समय विभागीय कर्तव्य एवं व्यवस्थाएं
10.	आपदा के समय किये जाने वाले प्राथमिक उपाय एवं उपचार
11.	जल संरक्षण
12.	आपदा विशेष कार्ययोजना एवं प्रबंधकीय आंकड़ों का संग्रहण
13.	जिला स्तरीय विभागों के दूरभाष नम्बर
14.	चूरू जिला – मानचित्र अवलोकन

15.

मेरी कलम से .....

आपदा एवं अतिथि शब्दों में चारित्रिक अंतर होते हुए भी दोनों में एक सामंजस्य है कि दोनों बिना बताये किसी भी तिथि को दहलीज पर आ धमकते हैं। वही परिवार अतिथि का स्वागत संवेदनशीलता, जीवन्टता, सौहार्दपूर्ण एवं उमंगता भरे वातावरण में कर सकता है जो पूर्व एवं पूर्ण तैयारी किये बैठा हो।

आपदा एवं अतिथि के चारित्रिक भेदों में क्रमशः दुर्भाव एवं सद्भाव शाब्दिक भेद का अन्तर है। आपदा भी अतिथि की भांति बिना बुलाये एवं बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती है। आपदा के प्रभाव क्षेत्र एवं परिसर के संवेग को कम करने में अर्थात आपदा के विनाशकारी प्रभाव को कमतर करने में यह मुहावरा सटीक है कि ''उपचार की अपेक्षा सावधानी श्रेष्ठ है''।

परख एवं परीक्षा के गुणावगुण घटक आपदा के समय अधिक घनत्व से युक्त होते हैं। इन्ही विचारों को समाहित करते हुए यह श्रेष्ठकर होगा कि आपदा का सामना प्रभावी एवं बेहतर प्रबंधन पूर्व तैयारी से इस तरह किया जावे कि आपदा पीड़ित आहत को राहत मिले जिसमें परस्पर सहयोग, समन्वय एवं तालमेल की भावना से की गई कार्यवाही अधिक फलदायी एवं सिद्ध होती है।

मेरा ऐसा मानना है कि किसी आपदा के आगमन से पूर्व एवं पश्चात सम्मिलित उतरदायित्व ही आपदा आपदा प्रबंधन अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों को सामुहिक रूप किये जाने से आपदा के कुप्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

जिला कलक्टर, चूरू

अध्याय 01 :– आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिये राज्य–नीति

1. राजस्थान की भौगोलिक स्थिति :–

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बडा राज्य है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह बारम्बार अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त हो जाता है। यहाँ की 40 प्रतिशत जनता थार मरूस्थल में रहती है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। जिसमें से 515.003 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कुल जनसंख्या का 31.41 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है। 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। 1997 की पशु जनगणना के अनुसार राज्य में 543.48 लाख पशु हैं जो देश की पशु संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक हैं।

1.1 राजस्थान में मुख्य प्राकृतिक आपदाएँ :–

राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। मानसून की विफलता एवं बारम्बार अकाल की पुनरावृत्ति स्थिति को ज्यादा गम्भीर बना देती है। इसके दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार से दृष्टि गोचर होते हैं –– कृषि उत्पादन एवं चारा सहकृषि गतिविधियां (जैसे पशुपालन, भेड़ पालन आदि), पशु एवं मानव दोनों के लिए पानी एवं भोजन की कमी आदि सूखे के अतिरिक्त मानसून का अन्य खतरनाक पहलू राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ के रूप में सामने आता है, जबकि उसी समय अन्य हिस्सों में अकाल एवं सूखा रहता है। इस प्रकार सूखा एवं बाढ़ से राज्य की समस्त अर्थव्यस्था प्रभावित होती है। जिससे आर्थिक विकास की समस्त गतिविधियों के बजट का विमुखन (Diversion) हो जाता है। प्रमुख आपदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:–

1.2 आपदाओं का वर्गीकरण :–

1.2.1 जलवायु सम्बन्धी :–

- बाढ़
- सूखा
- चक्रवात
- बादल का फटना
- शीत लहर, पाला, चक्रवर्ती तूफान/ओलावृष्टि
- बिजली का गिरना

1.2.2 भू–गर्भ सम्बन्धी :–

- भूकम्प
- भूस्खलन
- बांध का टूटना
- खान में आग लगना

1.2.3. रसायनिक, औद्यौगिक एवं परमाणु सम्बन्धी :–

- रसायनिक विपदा
- औद्योगिक विपदा
- परमाणु विपदा

1.2.4. दुर्घटना सम्बन्धी :–

- आग
- बम विस्फोट
- सड़क, रेल, वायु दुर्घटना
- खान मे बाढ़ आना एवं ढहना
- मुख्य भवनों का ढहना

1.2.5. जैविक आपदाओं सम्बन्धी :–

- महामारी
- टिड्डी दल आक्रमण
- जानवरों की महामारी

1.2.6. अन्य आपदाओं :–

- आतंकवादी गतिविधियां
- उपद्रव
- दंगे
- बलवा
- त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़

आपदाओं की तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बॉटा जा सकता है:–

1.3 धीमी गति की आपदाएँ (Slow Disaster) :–

धीमी गति की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदाएँ आती हैं, जिनका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है ऐसी आपदाओं के लिये राहत आदि पहुँचाने एवं तैयारी के लिये पर्याप्त समय मिल जाता हैं। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्धकालीन योजनाबद्व कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

1.4 आकस्मिक आपदाएँ :–

भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्निकाण्ड, दुर्घटना, आदि आकस्मिक आपदाओं की श्रेणी में आते है तथा इनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी तादाद में मानव, पशुधन तथा सम्पत्ति आदि का नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये वहाँ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जनसहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होती है तथा अत्यन्त सीमित समय में बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव एवं सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों तथा आश्रय स्थलों तथा तात्कालिक चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह की आकस्मिक आपदाओं के लिये आपदा से पूर्व निपटने की तैयारियां, आपदा के समय राहत व्यवस्था तथा भविष्य में आपदा से होने वाले खतरों के प्रभाव को कम करने के लिये प्रयास धीमी गति की आपदाओं से भिन्न होते हैं।

अतः यह नीति उक्त दोनों ही तरह की आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये तथा सरकार एवं जनता के समन्वित प्रयास से लोगो की क्षमता निर्माण तथा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा हर व्यक्ति तक पहुँचाने की एक कोशिश है।

1.5प्रभावित क्षेत्र :–

राजस्थान के निर्माण के बाद वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–1991 व 1994–95 को छोड़कर हर साल सूखा एवं अकाल प्रभावित रहा है। सम्वत् 2059 के अकाल में प्रदेश की लगभग समस्त जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। अरावली पर्वत श्रेणियों द्वारा दो पृथक भागों में विभाजित राज्य का उत्तर–पश्चिम भाग, जो राज्य का सत्तर प्रतिशत क्षेत्रफल है, में बहुत क्षीण, छितराई हुई एवं कम वर्षा होती है। प्रत्येक प्राकृतिक आपदा से मानव एवं प्राणी जगत के साथ भौतिक सम्पदाओं का भी नुकसान होता है। बुरी तरह से प्रभावित जनसंख्या भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, दवाई एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु बाह्य स्रोतों से सहायता की मोहताज हो जाती है। जनता के दुःख दर्द को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में घरेलू उत्पादन का 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत भाग कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों की देन है, जिस पर 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन निर्भर है। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। कुल जोत योग्य 2,06,59,787 हैक्टेअर भूमि में से केवल 66,75,835 हैक्टेअर भूमि ही सिंचित है। सूखे से फसल एवं सह–फसल गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती है।

राजस्थान में बाढ़ से मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों कोटा संभाग भरतपुर और अलवर जिले मुख्य रूप से आते हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलो में भी बाढ़ आई है।

भूकम्प से प्रभावित जिलों में अलवर, भरतपुर, जालौर, बाडमेर एवं जैसलमेर के कुछ भाग भूकम्प जोन–IV में आते हैं। चूरू भूकम्प के प्रभाव से सुरक्षित है एवं इस सन्दर्भ में दिनांक 8.5.17 को मॉकड्रिल भी करवाई जा चुकी है।

आँधी और तेज हवाएँ रेगिस्तानी जिलों में बहुतायत से आती है, परन्तु ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने की सम्भावना राज्य में कहीं भी हो सकती है। कई बार तो ओलावृष्टि तथा पाले से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन एवं चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

2. आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था

पूर्व में यह परिपाटी रही है कि आपदा घटित होने के बाद ही राहत कार्य किये जाते रहे हैं। परन्तु आपदा घटित होने से पूर्व आपदा के पूर्व प्रभाव एवं खतरों को कम करने के उपायों पर अब ध्यान दिया जा रहा है।इसके लिए केन्द्र सरकार से सी.आर.एफ. एवं एन.सी.सी.एफ मद से केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त होती है। राज्य में सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि आदि आपदायें घटित होने के बाद इससे प्रभावित लोगो को राहत प्रदान की जाती रही है। जैसे कि सूखे की स्थिति में रोजगार सृजन के कार्य, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण एवं चारे की व्यवस्था तथा अनुग्रह सहायता जैसे उपाय जनता की मदद के लिये उठाये जाते हैं। इसी प्रकार से अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि एवं बाढ़ से हुऐ नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति प्रभावित लोगो को उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु उक्त आपदाओं के प्रभावों को कम करने एवं स्थायी रोकथाम के लिऐ वर्तमान में पुख्ता व्यवस्था का होना आवश्यक है, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

2.1 पारम्परिक राहत व्यवस्था में खामियां :–

(1) पारम्परिक राहत केवल अस्थायी व्यवस्था है जो आपदा से प्रभावित लोगों को तात्कालिक राहत के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तथा आपदा खत्म होते ही समस्त कार्य बन्द कर दिये जाते हैं। आपदा खत्म होने के बाद भावी आपदा से कैसे निपटा जाये तथा उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाये या उसका स्थायी समाधान क्या हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) पारम्परिक रूप में सरकार का ध्यान केवल आपदा उपरान्त सहायता तक ही सीमित है। उसकी आपदा पूर्व तैयारी एवं उसके प्रभाव को भविष्य में कम करने के लिए योजना एवं नीति नहीं है।

(3) वर्तमान व्यवस्था को लागू करने के लिये किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता उपलब्ध नहीं है, जिससे आपदा प्रबन्धन से निपटने वाले अधिकारियों को मौके पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः आपदा प्रबन्धन के सुचारू संचालन में कई बार पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निर्वहन के अभाव की शिकायतें तथा विभिन्न विभागों का एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति दर्शित होती है।

2.2 आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता :–

वर्तमान राहत व्यवस्था में उक्त खामियों को दूर करने के लिये आपदाओं के प्रबन्धन, प्रभावी नियन्त्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं के होने वाले नुकसान को भविष्य में कम करने तथा उनके स्थायी समाधान

हेतु आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता है। अतः यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर है, जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया हैः–

(1) आपदा प्रबन्धन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले सम्भावित नुकसान को कम करने के लिये उपाय तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों ही बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।

(2) राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियन्त्रण के लिये आपदा प्रबन्धन कानून लागू करेगी, जिससे आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त कार्यो को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी, जिससे जिला प्रशासन प्रभावी रूप से आपदा के समय सुचारू रूप से अपने कार्यो को स्वतन्त्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सके।

(3) भावी आपदा प्रबन्धन अस्थायी प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम है। (From Ad-hoc reactions to planned reactions)

(क) दीर्घकालीन योजनाएँ :– राज्य योजनाऐं/विभागीय योजनाएँ अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनायी जायेगी तथा उन कार्यो के लिये अन्य प्लान कार्यो की तरह लगातार, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, बजट प्रावधान रखे जायेंगे। खासतौर से सूखा निवारण (Drought Proofing) के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।

(ख) आपदा प्रबन्धन योजना :– प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी सम्बन्धित विभाग, ग्राम स्तर तक की आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनायेंगे तथा ग्राम स्तर तक डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर बेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सूचना हर वर्ष अद्यतन हर जिला कलेक्टर द्वारा अपडेट की जायेगी और आपदा प्रबन्धन के लिये यह सूचना एक प्रभावशाली तन्त्र का कार्य करेगी।

(ग) क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे तथा राज्य स्तर पर एच.सी.एम. रीपा नोडल एजेन्सी होगी जो राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबन्धन की विभिन्न विधाओं के रिसोर्स पर्सनस तैयार करेगी तथा यह विशेष प्रशिक्षित रिसोर्स परसन्स जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगो में आपदाओं से निपटने के लिये क्षमता निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व सिविल डिफेन्स डिपार्टमेण्ट में सर्च एवं रेस्क्यू आपरेशन्स के लिए एक विशेष टीम तैयार की जायेगी।

(घ) समुदाय पर आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी।

(ङ) राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों का एक केडर तैयार किया जायेगा जो एक विस्तृत इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा।

(च) बहु आपदा रेस्पोन्स व्यूह रचना :– बहु आपदाओ के प्रबन्धन करने के लिये इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निबटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की हैं उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है, जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।

(छ) एक इस प्रकार का संचार नेटवर्क विकसित किया जायेगा जो आपदा प्रूफ एवं सूचना को तुरन्त जिल से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर तक भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूट्रीकृत नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क [State Disaster Resource Network (SDRN)] एवं इण्डिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क [India Disaster Resource Network (IDRN)] तैयार किया जायेगा।

(ज) प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियन्त्रण हेतु पृथक–पृथक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिये पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व तथा आपदा के पश्चात् दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिये प्रत्येक आपदा विशेष के प्रबन्धन हेतु योजना एवं दिशा निर्देश भी इस नीति में समायोजित किये जायेंगे।

(झ) राज्य में अभी वर्ष 1962 का बना हुआ केवल अकाल राहत मैन्युअल है जिसका आज के बदलते हुए परिवेश में बहुत कम औचित्य रह जाता है। अतः न केवल नया अकाल राहत मैन्युअल ही बनाया जायेगा बल्कि अन्य आपदाओं के मैन्युअल भी तैयार किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह मैन्युअल सामान्य भाषा के साथ–साथ प्रक्रिया की दृष्टि से पारदर्शी तथा सरल प्रक्रिया पर आधारित हो, जिससे आम जनता को ज्यादा राहत त्वरित गति से उपलब्ध करायी जा सके।

3. आपदाओं की रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था :–

3.1 राज्य स्तर पर आपदाओं से निपटने की पूर्व तैयारियों, रोकथाम तथा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा एवं आपदा की स्थिति से निपटने के लिये त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (Disaster Management Authority) गठित होगा जिसकी सामान्य समय में प्रत्येक 6 माह में एक बार समीक्षा की जायेगी। इस प्राधिकरण में गृह मन्त्री, वित्त मन्त्री, आपदा प्रबन्धन मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री, कृषि मन्त्री, सार्व0निर्माण विभाग मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मन्त्री, सूचना एवं प्रोद्योगिकी मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं उर्पयुक्त विभागो के प्रमुख/शासन सचिव सदस्य तथा प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता इसके सदस्य सचिव होंगे। यह समिति आपदा प्रबन्धन की मंत्रीमण्डलीय समिति के नाम से जानी जायेगी। किसी भी निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट आपदा के घटित होने या उसकी संभावना होने पर यह समिति

परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी एवं किसी भी प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस कमेटी में लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे एवं निर्णयों की पालना सभी विभाग समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित करेंगे।

3.2 प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर इसी तरह की एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जायेगी, जिसमें आपदा व अन्य सम्बन्धित सभी विभाग पैरा 3.1 में बताये गए विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य रहेंगे। यह समिति भी आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित करेगी तथा इसमें सभी प्रकार की आपदाओं की पूर्व तैयारियों, आपदा उपरान्त राहत तथा भविष्य में आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने की विभिन्न विभागों की दीर्घकालीन योजनाओं का विश्लेषण करेगी। यह समिति विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी

3.3 आपदाओं को रोकने एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों एवं जनता में से विभिन्न कौशल वाले व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः इसके लिए विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं, शासकीय संस्थाओं, निजी संस्थाओं एवं केन्द्र तथा राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई जायेगी तथा उसमें उनके स्थायी पते एवं टेलिफोन नम्बर आदि भी IDRN और SDRN के माध्यम से वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्र बुलाया जा सके। उक्त सूचनाओं एवं संसाधनो का आपदाओं को कम करने, रोकने एवं प्रबंधन की व्यवस्था एवं योजना बनाने में उपयोग किया जायेगा।

3.4 संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार समितियों पर सम्भाग एवं जिला स्तर के आपदा रोकथाम एवं प्रबंधन की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी रहेगी, जिनमें प्रत्येक प्रकार की सम्भावित आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबन्धन के उपाय किये जावेंगे। मूलतः कार्य योजनाएं प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेंगी जिनमें संभाग स्तर से जिस प्रकार के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता होगी उसका उल्लेख रहेगा। इसके अतिरिक्त उन बिन्दुओं का उल्लेख रहेगा जिनके अंतर्गत अन्तरजिला समन्वय एवं कार्यवाही की आवश्यकता होगी। संभागीय आयुक्तों को जिलों में विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जन उपयोगी संस्थाओं को भी इन कमेटियों में रखने का अधिकार होगा तथा आपदाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारियों, सूचनाओं आदि को जन जागृति द्वारा आम जनता तक पहुँचाने में इन संस्थाओं का भरपूर सहयोग लिया जायेगा।

3.5 सभी आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग समन्वयक विभाग रहेगा। सहायता विभाग प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं के लिए श्रम विभाग महामारियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा मानव जनित आपदाओं/दुर्घटनाओं के लिए गृह विभाग तथा बाढ़ के लिए सिंचाई विभाग नोडल विभाग होगा।

3.6 आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिये जायेंगे। आपदा के समय कलेक्टर्स को सभी प्रकार के संसाधन, मानव, मशीन एवं किसी भी प्रकार के वाहन तथा विभिन्न दक्षताओं युक्त निजी व्यक्तियों जैसे गोताखोर आदि को अधिकृत करने के अधिकार होंगे। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जमीन, भवन, फैक्ट्री, आदि के सर्च एवं सीजर एवं अधिग्रहण के अधिकार होंगे। इसके लिये आवश्यकतानुसार आपदा प्रबन्धन कानून या प्रशासनिक आदेश के द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने की व्यवस्था करेगा।

3.7 आपदाओं का प्रभाव एक से अधिक जिलों में संभावित होने के कारण संभाग स्तर पर आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए संभागीय आयुक्त नोडल एजेन्सी का कार्य करेंगे। संभाग स्तर पर कार्यरत राज्य शासन के विभागों के सभी अधिकारी जिसमें पुलिस, होमगाड एवं वन के अधिकारी सम्मिलित हैं। संभागीय आयुक्त संभागीय स्तर के सभी शासकीय कार्यालयों एवं एजेन्सियों के बीच समन्वय करेंगे। संभाग स्तर पर समिति में रेंज डी.आई.जी. को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा, क्योकि बचाव व राहत से संबंधित अधिकांश कार्य पुलिस विभाग से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को भी संभाग स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जायेगा। सम्भागीय आयुक्त राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।

3.8 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सभी प्रकार की आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी होगा। जिले में राज्य के समस्त विभागों के जिला अधिकारी, पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग इत्यादि अपने अधीनस्थ अमले सहित आपदा से निपटने हेतु जिला कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। जिला स्तरीय अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थायें जो आपदाओं से संबंधित कार्यो में मददगार हो सकती हैं, उनके आपस के एवं शासकीय विभागों के बीच समन्वय भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जावेगा, क्योंकि बचाव व राहत से सम्बन्धित अधिकांश कार्य पुलिस से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को भी जिला स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जावेगा। जिला कलेक्टर राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।

3.9 जिला स्तरीय कार्ययोजना के दो भाग होंगे। प्रथम भाग में आपदा के पूर्व तैयारी, रोकथाम के उपायों का समावेश होगा। दूसरे भाग में आपदा के घटित होने के बाद, आपदा से निपटने के उपाय, आपदा पश्चात् दी जाने वाली सहायता, उपचार एवं पुनर्स्थापना की योजना रहेगी।जिला योजना में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने एवं सम्भावित विभिन्न आपदाओं के क्षेत्रों में उनसे निपटने के लिये वहॉ के निवासियों की क्षमता के निर्माण तथा उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी विषय सम्मिलित होंगे।

3.10 जिलास्तरीय कार्य योजना पर जिला योजना समिति के द्वारा विचार–विमर्श एवं अनुमोदन के पश्चात् राज्य शासन से सहमति (concurrence) प्राप्त की जायेगी । संभागीय योजना संभाग आयुक्त द्वारा बनाई जायेगी, जिस पर राज्य शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी।

3.11 कार्ययोजना में सामाजिक, अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा महिला संगठनों की सक्रिय भूमिका एवं सहयोग का उल्लेख होगा। कार्ययोजना का जिले में सघन प्रचार–प्रसार किया जावेगा तथा योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों का विचार–विमर्श के उपरान्त आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना में समावेश किया जावेगा।

3.12 प्रभावित क्षेत्रों में समय पर आपदा की चेतावनी देने की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण पूर्व तैयारियों के बावजूद भी धन व जन हानि को रोकना संभव नहीं हो पाता है। अतः जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना में आधुनिक संचार माध्यमों सहित समस्त मीडिया की भूमिका एवं जिन विषयों में उनके विशिष्ट सहयोग की आवश्यकता होगी, उसका उल्लेख किया जायेगा। यह कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा की जावेगी।

3.13 विभिन्न प्रकार की आपदाओं में यह पाया गया है कि महिला एवं बच्चे आपदाओं से सबसे अधिक पीड़ित होते है। अतः जिला योजना में महिलाओं और बच्चों पर आपदाओं से होने वाले संकटों को कम करने एवं बचाव की कार्यवाहियों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करने के विशिष्ट उपायों का समावेश किया जायेगा। खासतौर से विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगो को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना चाहिये, इसके बारे में जागरूकता हर परिवार के सदस्यों को होनी चाहिये।

3.14 विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का पशुओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन व पर्यावरण के लिए वे महत्वपूर्ण है। जिला कार्ययोजना में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं को राहत प्रदान करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट उपायों का भी समावेश किया जायेगा।

3.15 राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन की पूर्व तैयारियो से आपदा के प्रभाव को कम करने की कार्यवाहियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सभी संबंधित विभागों की वार्षिक योजना में इन कार्यवाहियों का समावेश किया जावेगा और वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा इनका समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन्हें पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। आपदाओं की रोकथाम की पूर्व तैयारियों एवं प्रबंधन की अन्तरविभागीय योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान एवं प्राथमिकता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

3.16 आपदा से सम्बन्धित नोडल एजेन्सी, सरकारी विभाग, स्वायत्त शासी संस्थाएँ, गैर सरकारी संगठन, रिसर्च एजेन्सी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक समूह

तथा अन्य स्टेक होल्डर्स आपदा से सम्बन्धित जानकारियों, प्रचार एवं प्रसार, समन्वय तन्त्र तथा सभी स्टेक होल्डर्स क्षमता निर्माण के लिंक स्थापित किये जायेगें और इस प्रकार का तन्त्र विकसित किया जायेगा जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का लगातार फीड बेक सिस्टम संधारित किया जा सकेगा, जो प्रभावी रूप से सहायता, पुनर्वास, प्रयास एवं क्षमता निर्माण विकसित कर सकेगें।

4. आपदा प्रबन्धन के तीन चरणः–

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अलग–अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है, अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावीरूप से निपटने के लिये राज्य व जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए निम्न तीन चरण होते हैः–

अ) प्रथम चरण – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था
ब) द्वितीय चरण –आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था
स) तृतीय चरण – आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था

4.1 प्रथम चरण – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था :–

आपदा के घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां (Prevention, Mitigation & Preparedness) सम्मिलित है। इस चरण में आपदा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आंकड़ो का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित नोडल विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एक्सन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्त्वपूर्ण बिन्दू आते हैं।

जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगाः–

(1) ***भारतीय आपदा संसाधन नेट वर्क :–***

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेट वर्क (Indian Disaster Resource Network- IDRN) के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा जिला कलेक्टर के पास कम्प्युटर में बेवसाईट पर विभिन्न तरह की आपदाओं में राहत व बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन व शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री व मानव संसाधन तथा विभिन्न

प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए (इन्वेट्री) तैयार की जायेगी। मानव संसाधन की सूची में उपलब्ध व्यक्तियों की जिस विषय में विशेष दक्षता होगी, उसका स्पष्ट उल्लेख होगा, जिससे आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता मय टेलीफोन नम्बरों के भी उपलब्ध होगा ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री व व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसकी जानकारी तैयार की जावेगी जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों में एवं राज्य के बाहर जहॉ भी वे संसाधन उपलब्ध होगें, उन्हे तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

सामग्री, मानव संसाधन, मशीनों एवं यन्त्रों और उपकरणों के सम्बन्ध में एकत्र की गई जानकारी का हर छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता एवं टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जावेगा और उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित एवं आदिनांक किया जावेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की होगी परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने जिले के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हे पाबन्द करेंगे कि वे आवश्यक सूचना (आई.डी.आर.एन.) तथा (एस.डी.आर.एन.) की जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये तथा उसमें नियमित रूप से हर छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

(4) *कानून, नियम, उप नियम तथा दिशा–निर्देशों का निर्माण :–*

सफल आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिये स्पष्ट नीतियां, दिशा निर्देश ;ळनपकमसपदमद्ध एवं नियम हों तथा उनकी सरकारी विभागो, संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो। इसके मुख्य बिन्दु हैः–

1. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनो के निर्माण की संरचना तथा डिजाइन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से भवन निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग के विभिन्न दिशा निर्देश
2. भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान
3. फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा निर्देश एवं पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी
4. महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्ययोजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं विभागो की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी
5. बाढ़, आंधी, तूफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश।
6. आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कानूनों एवं नियमों का निर्माण
7. पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों एवं पुराने फेमिन कोड (मैन्युअल) तथा

अन्य विभागीय मैन्युअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संशोधन

8. बड़े शहरों में बहुमंजिले भवनो में आग से बचाव के समस्त उपायो को आई.एस. कोड तथा एन.बी. कोड के प्रावधानो को भवन निर्माण कानून में जोड़ने बाबत नियमों में संशोधन

(5) आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाओं का निर्माण :–

सभी आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा प्रबन्धन की कार्य योजनाएँ बनाई जायेंगी तथा सभी सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेंगे तथा समय–समय पर उन्हें आदिनांक करने के साथ उसका हर साल पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करेंगे।

(6) ***आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढाँचाः–***

आपदा पूर्व चेतावनी यदि उचित समय पर दी जा सके तो आपदा के दुष्प्रभाव एवं खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं विभिन्न आपदा से संबधित नोडल विभाग आपदा पूर्व चेतावनी की सुनिश्चित व्यवस्था करेगें।

(7) ***आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रक्रियाः–***

कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुनर्वास तथा विभिन्न प्रकार के संसाधनो की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिये जिला प्रशासन को आपदा एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

(8) ***क्षमता निर्माण :–***

किसी भी आपदा के प्रभावी नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं एवं आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु हैं :–

1. आपदा से सम्बन्धित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने हेतु उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान ।
3. आपदा से निपटने के लिये विशेष ज्ञान के समवर्गो की स्थापना तथा प्रशिक्षण एवं रिसर्च की उपलब्धता।
4. आपातकालीन आपदा की रेस्पोन्स मेकेनिज्म की स्थापना जिससे आपदा के विशिष्टीकृत केडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिये उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों के पाठ्यक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन संरचनाओं एवं मोडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोगो को प्रदान करना तथा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उन्हें लागू करना।
7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार (First Aid) व्यवस्था

के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगो को ज्ञान उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गांव एवं मोहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।

9. ग्राम स्वयंसेवी गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगो को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुँचाया जावे तथा पीड़ित व्यक्ति को कहाँ और किस अस्पताल में पहुँचाया जावे, इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाय आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पड़ौसी या उसके गांव एवं कॉलोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करायी जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों में सर्तकता समितियॉ और स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण।

(9) ***प्रशिक्षण :–***

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगें। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम नोडल ऐजेन्सी एच.सी. एम.रीपा होगी।

1. ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।
2. इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्य से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आपदा के समय वे बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सकें।
3. उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
4. राज्य सरकार अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्टियों वाले व्यक्तियों के अलग–अलग दल बनायेगी जो सभी तरह की आपदाओं में बचाव व राहत के कार्य में पूर्णतः प्रशिक्षित होंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में यह दल आपदा प्रभावित जिले के आपदा के प्रभारी अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करेगा। ये व्यक्ति विभिन्न संबंधित विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, श्रम, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि से लिये जावेंगे। इन्हें प्रशिक्षण हेतु एवं आपदा के समय कार्य संभालने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता आयुक्त के आदेश से लगाया जा सकेगा। सभी विभाग इन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु तथा आपदा के समय तुरन्त भेजने के लिए बाध्य होंगे। एच.सी.एम. रीपा इन सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित करेगा।
5. जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जायेंगे।
6. राज्य स्तर पर गृह विभाग द्वारा इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा बल की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबन्धन हेतु पूरे देश के लिये आपदा प्रबन्धन रिजर्व बल तैयार किया है। क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार

का प्रशिक्षण दिया जाकर आर.ए.सी. की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था के लिये तैयार किया जा सकता है?

(10) ***स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर :–***

किसी भी आपदा में पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाने में मेडिकल केयर का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की क्षमता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हों। ऑपरेशन थियेटरों का सुसज्जित एवं पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेन्सों एवं मोबाइल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ को आवश्यकतानुसार तुरन्त भेजा जा सके, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

4.2 *द्वितीय चरण–आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्थाः–*

इस चरण में राज्य प्रशासन के आपदा के विरूद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहो एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत्त सक्षमताओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति (deployment) उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने के लिये समस्त जिम्मेदारी अकेले जिला कलेक्टर की ही न होकर सभी विभागों एवं वहाँ की स्थानीय संस्थाओं की भी होती है। राज्य सरकार वह सभी सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करायेगी जो आपदा से निपटने के लिए आवश्यक होगी।

द्वितीय चरण के समय महत्त्वपूर्ण कार्य बिन्दूः–

आपदा से निपटने की कार्यवाही, इसकी पूर्व तैयारी सर्तकता व इच्छा–शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गयी तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी एवं कुशलता से की जायेगी उतनी जल्दी जन एवं धन सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। इस चरण में मुख्य कार्य बिन्दु होंगेः–

(1) संचार व्यवस्था एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना :–

i) आपदा के तुरन्त बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ई–मेल सुविधा एवं अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से

संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जावेगी तथा नियंत्रण व रोकथाम की कार्यवाहियों के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे। यहां से सूचना माध्यमों द्वारा आम जनता के लिए आवश्यक सूचनाएं सामान्य रूप से जारी की जायेगी तथा जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जायेगी।

ii) आपदा की स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेंगे, जहाँ से बचाव कार्य एवं राहत कार्यो का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यो से संबद्ध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे, जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सके।

iii) जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा के पूर्ण प्रयत्न किये जायेंगे।

iv) विशेष रूप से बनाये गए कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेंगे। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीप ही राहत उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(2) ***सर्च एवं रेस्क्यू टीमः–***

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितनी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फँसे हुऐ लोगो को त्वरित गति से बाहर निकालना, उन्हे मेडिकल ट्रीटमेंन्ट के लिए अस्पताल भेजा जावे उन्हे सुरक्षित स्थानों पर बसाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर सम्भव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों को जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) ***आवश्यक सेवाओं की बहाली :–***

आपदा की स्थिति में बिजली, पानी, संचार के साधन, सड़क, पुल आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत पहुंचाने में कोई व्यवधान उस समय नही हो तथा यदि किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गयी हों तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जा सके। सभी विभागो, स्थानीय सस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ जिला प्रशासन समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

(4)***आपदा पीड़ित लोगों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था –***

आपदा के समय, खाद्य आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अधिकांश लोगो के मकान ध्वस्त हो जाते हैं या बाढ़, भूकम्प एवं अग्निकाण्ड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने–पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

(5) ***आपदा के बाद राहत आकंलन :–***

सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुऐ नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा, जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाई जा सके।

i) जन तथा सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलेक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त कार्यवाही करे। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।

पपद्ध संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत व बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन व सम्पत्ति की हानि तथा बचाव एवं राहत कार्यो में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरंतर दी जावेगी।

(6) ***राहत पीड़ितों के लिये राहत पैकेज :–***

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हे नकद धनराशि या वस्तुओ के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती हैं। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिये। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिये, उसमें किसी भी प्रकार जाति, धर्म, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

(7)***आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था :–***

आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग के देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस.आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जायेगी। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते है, अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलेक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था करायेगी। यह कोष राज्य सरकार, दानदाताओं एवं निजी ओपरेटरों से एक शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

(8) ***क्रेन,बुलडोजर एवं आवश्यकता अनुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण :–***

कई बार भूकम्प एवं मकानो के ढ़हने एवं कुओं के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग दब जाते हैं, उन्हें तुरन्त निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कलेक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होंगे। फंसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलेक्टर को होगी।

4.3 तृतीय चरण–आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था :–

इस चरण के मुख्य रूप से निम्न कार्य सम्मिलित होते हैं:–

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास यथाशीघ्र किये जायेंगें। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित एवं स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में यथासंभव सहायता दी जायेगी। आपदा से मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों जिनकी सम्पत्ति एवं निकटस्थ संबंधियों की जीवन हानि हुई है, उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। नगरीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विद्यमान अधिनियमों में संशोधन करते हुए स्थानीय स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका निर्धारित करेंगे।

तृतीय चरण के मुख्य कार्य बिन्दु :–

(1) विस्तृत हानि का आंकलन :–

आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आकलन किया जायेगा। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की आपदा प्रबंधन की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार का होगा।

(2) प्रभावित लोगो को पुनर्स्थापन :–

यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हे मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में उन्हे बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध न हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विद्युत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चो के लिये स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

(3) पुनर्स्थापना एवं पुन संरचना योजनाओं की स्वीकृति :–

दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिये विस्तृत एस्टीमेट बनाना,उनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है जिससे कि इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

(4) धन का आवंटन एवं ऑडिट :–

विभिन्न माध्यमों से वित्त व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियन्त्रण एवं ऑडिट आवश्यकता इस चरण में होती है, जिससे कि धन का किसी प्रकार से दुरूपयोग नही हो सके।

(5) परियोजना प्रबन्धन :–

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनिटरिंग की आवश्यकता है। इसके मुख्य निम्न कार्य हैः–

1. भवनों का आपदा प्रूफ एवं रेट्रोफिटिंग।
2. रेट्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनो का निर्माण।
3. आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध, केनाल आदि के लिए रेट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव।
4. आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएँ जैसे सड़क, पावर स्टेशन, एयर पोर्ट, बस स्टेशन, रेल्वे लाईन आदि योजनाओं का मोनीटरिंग।
5. स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, अस्पताल, डाक्टरों एवं सर्जनों की आवश्यकता।
6. ध्वस्त औद्योगिक ईकाईयों की पुनर्स्थापना।
7. आजीविका की पुनर्स्थापना (Restoration of livelihood)
8. आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मशविरा

(6) *संचार नेटवर्क एवं जन जागृति :–*

किसी भी आपदा के स्थायी समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबन्धन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

5. *रोकथाम व नियंत्रण के कार्य एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारीः–*

इन तीनों चरणों में आपदा के प्रभावी प्रबन्धन में राज्य सरकार एवं उसके विभिन्न विभाग, जिला प्रशासन, स्वायत्त शासी संस्थाएँ एवं स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन विभिन्न आपदाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण में राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, स्वायत्त शासी संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संगठनों का निम्न प्रकार से आपदा अनुसार कार्य कलाप एवं उत्तरदायित्व होगाः–

5.1 *सूखा*

सूखा प्रबन्धन के लिये राज्य सरकार सूखे से पूर्व निपटने की समस्त तैयारी तथा अकाल घोषित होने के बाद रोजगार सृजन, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण, अनुग्रह सहायता, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सभी उपाय जिनसे एक ओर तो जनता को भूख से बचाया जा सके तथा दूसरी ओर प्रभावित जनसंख्या की जीवन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समस्त कार्यकरणी इसका विस्तृत विवरण अकाल सहायता एवं आपदा प्रबन्धन मैन्युअल में अलग से अद्यतन प्रकाशित किया जायेगा, जिसके अनुसार सभी विभाग न केवल सूखे से निपटने के लिये तात्कालिक व्यवस्था करेंगे, बल्कि भविष्य में अकाल के प्रभाव के खतरों से बचाने हेतु दीर्घकालीन योजना भी बनायेंगे । इन सभी दीर्घकालीन योजनाओं को पानी की मित्तव्ययता, उपलब्ध पानी का अनुकूलतम उपयोग तथा वर्षा का पानी संग्रहण तथा कृत्रिम पुनर्भरण एवं कम पानी के उपयोग पर आधारित फसल चक्रों को लागू करने के साथ–साथ भू–संरक्षण कार्यो

एवं वन विकास के कार्यों को हाथ में लिया जायेगा तथा राज्य की जल नीति पर पुनर्विचार करते हुए भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल आरक्षित किया जायेगा तथा पेयजल प्रथम प्राथमिकता होगी एवं राज्य की जल नीति को सभी सम्बन्धित विभाग प्रभावी रूप से लागू करेंगे। सूखा एवं अकाल प्रबन्धन का नोडल विभाग सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग होगा।

5.2 *बाढ़*

5.2.1 बाढ़ के प्रभावी नियन्त्रण के लिये प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर अपने जिले की आपातकालीन योजना बनायेंगे, जिसमें उन स्थानों को चयनित करेंगे जहाँ कि बाढ़ आने की सम्भावना हो तथा बाढ़ बचाव से मुकाबला करने के लिये वह सभी उपाय जिसमें अचानक पानी आने पर उसे कैसे रोका जाये, पानी से डूबने की स्थिति में आदमियों एवं उनके मूल्यवान सामान को कैसे खाली कराया जाये, उनको अस्थायी रूप से ठहराने के लिये अस्थायी आश्रय स्थल का चयन तथा उनके खाने, सुरक्षित पेयजल एवं दवाईयों तथा सफाई की व्यवस्था इन आश्रय स्थलों पर भली प्रकार से हो।

5.2.2 बाढ़ की स्थिति में पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अतः सम्बन्धित विभाग उन सारी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर ठीक कर जनता को राहत प्रदान करने की एक संवेदनशील व्यवस्था रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ की वजह से पानी दुषित हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती है, उनकी रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही करेगा।

5.2.3 बाढ़ से होने वाले फसल के नुकसान तथा मकानों की क्षतिग्रस्त होने का जिला प्रशासन तुरन्त सर्वे कराकर प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेगा।

5.2.4 बाढ़ की स्थिति में तात्कालिक राहत के लिये नावों, पानी निकालने के इंजन, गोताखोरों तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिये यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी। अतः उक्त सभी साधनों की सूची जिला कलेक्टर अपने जिले की आई.डी.आर.एन. एवं एस.डी.आर.एन. नामक बेवसाईट पर रखेंगे। जिससे तुरन्त राहत पहुँचायी जा सके।

5.2.5 भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिये जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि लोग शहरो के निचले क्षेत्रों, नालों एवं नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ की सम्भावना अधिक होती है, वहाँ लोग अपने मकान आदि नहीं बनायें तथा इस तरह के क्षेत्रों में जहां आवासीय झोपड़ियां पूर्व से निर्मित है, ऐसे स्थानों पर आवास मालिकों को एक समयावधि में सुरक्षित स्थानों पर रहने बसावट के लिये प्रोत्साहित किया जाये। अन्यत्र स्थानों पर उपलब्धता को देखते हुए गरीब तबके के लोगों को निशुल्क आवासीय भूखण्ड संबंधित नगरपालिका एवं यू.आई.टी. द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

5.2.6 बाढ़ नियन्त्रण एवं बचाव का नोडल विभाग सिंचाई विभाग होगा जो राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन आदि समय–समय पर भिजवाने की कार्यवाही करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन ग्रामीण तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य की

योजनाओं की प्रावधानित राशि से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियन्त्रण योजना को सिंचाई विभाग द्वारा तैयार एवं वित्तीय पोषण किया जायेगा।

5.3 ओलावृष्टि :–

राजस्थान में ओलावृष्टि की घटनाएं बार–बार होती हैं, लेकिन अधिकांशतः एक समय में एक ही स्थान पर सीमित रहती है। लगभग प्रत्येक वर्ष राज्य के एक अथवा किसी अन्य भाग में इसका प्रकोप होता रहता है, जिससे किसानों की फसलों को क्षति पहुँचती है एवं उन्हें आर्थिक हानि होती है, उसका जिला कलेक्टर तुरन्त सर्वे कराकर ओलावृष्टि में हुऐ नुकसान की नॉर्म्स के अनुसार तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भिजवायेंगे एवं बाद स्वीकृती राहत उपलब्ध करा सकेंगे। इससे बचाव के लिए किसानों को अपनी फसलों का व्यापक बीमा कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.4 आग :–

5.4.1 अग्नि पीड़ितों को सहायता :–

(1) प्रायः आग लगने से मकान जलने, पशुओं के मरने तथा सम्पत्ति के नुकसान होने की संभावना रहती है। कहीं–कहीं जनहानि भी होती है। जिला कलेक्टरों को स्थायी निर्देश होंगे कि वे ऐसी दुर्घटना का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने बाबत आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त से प्राप्त करेंगे। अग्नि पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहायता विभाग जिला कलेक्टरों के पास अग्रिम रूप से राशि उपलब्ध करायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः आग लगने की घटनायें विशेष रूप से फसल कटाई के उपरान्त होती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं के होने के कारणों का विधिवत अध्ययन किया जावेगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए रोकने के लिए सही की जायेगी, जिससे धन–जन की हानि को कम किया जा सके।

(3) शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों में तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में आग लगने के घटनाओं में वृद्धि हो रही है । भवन निर्माण के कानूनों की समीक्षा इस उद्देश्य से की जायेगी कि भविष्य में इमारतों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे न केवल अग्नि की घटनाओं को रोका जा सके बल्कि जिससे बचाव के कार्यो में सहूलियत रहे। स्वायत्त शासी संस्थाएँ यह भी सुनिश्चित करें कि बहुमंजिले क्षेत्रों में तथा शहर के अति व्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाईडेन्ट की समुचित व्यवस्था हो।

(4) सार्वजनिक स्थान जैसे सिनेमा हॉल, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, स्कूल इत्यादि में आग लगने से बहुत व्यक्तियों की जान व सम्पत्ति की हानि की घटनाएँ हो सकती है। इनको रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे तथा संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन भवनों में इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग्स पुरानी हो चुकी हैं तो नोर्म्स के अनुसार पुनः फिटिंग करायी जाऐ जिससे अग्नि काण्ड की सम्भावनायें कम हो सकती हैं।

(5) वनों तथा खदानों में आग से होने वाली हानि को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय वन एवं खान विभाग द्वारा किये जायेंगे और उनसे होने वाली हानि को कम किया जायेगा।

(6) एयरपोर्ट के आस–पास पेट्रोल तथा वायुयान ईंधन की आग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं संबंधी व्यवस्था की जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(7) बड़े शहरो में बहुमंजिली इमारत में आग बचाव के समस्त उपाय जो आई.एस. कोड तथा एन.बी.ओ. कोड के तहत आवश्यक है, भवन निर्माण अनुमति से जोड़ा जाना चाहिए तथा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएँ अपने बिल्डिंग बाई लॉज में आवश्यक प्रावधान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पुराने एवं नये भवनो में आग से बचाव के सभी उपायों का पालन किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण की स्वीकृति के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिये कि जहाँ बहुमंजिले भवन बनाये जा रहे हैं वहाँ फायर ब्रिगेड तथा अग्नि शमन से सम्बन्धित वाहन उस भवन तक पहुँच सकते हैं या नहीं। यदि इस प्रकार के भवन संकड़ी गलियों में बनाये जा रहे हों जहाँ कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ बहुमंजिले भवनों की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिये। स्वायत्त शासन विभाग इसकी पालना सुनिश्चित करायेगा।

(8) जिन बहुमंजिले भवनों में फायर फाईटिंग की व्यवस्था उक्त प्रावधानों के तहत नहीं है, उन्हे एक निश्चित अवधि में ये सारी व्यवस्था करने के लिये पाबन्द किया जाये। यदि भवन मालिक यह व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा उस भवन को उपयोग में लेने के लिए मालिक को रोका जाये।

(9) सभी सार्वजनिक भवनों की जैसे सिनेमाघर, अस्पताल, ऑडिटोरियम, स्कूलों आदि में फायर फाईटिंग की व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण सक्षम संस्था द्वारा किया जायेगा।

5.5. भूकम्प :–

5.5.1 बाड़मेर, जैसलमेर, आंशिक जालौर तथा अलवर एवं भरतपुर जिलों में जहां भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल में 6.0+ हो सकती है, इन क्षेत्रों में भूकम्प से होने वाली हानि की रोकथाम के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी तथा राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करके इसका निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन किया जायेगा।

5.5.2 भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में इमारतों के निर्माण में निर्माताओं द्वारा भूकम्प अवरोधी सामग्री व प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके लिए मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इन्हें अधिसूचित करने के साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेगा।

5.5.3 इस विषय पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, संबंधित तकनीकी संस्थाओं से मिलकर करेगा। इस समीक्षा से प्राप्त अनुशंषाओं के आधार पर स्पेसिफिकेशन संशोधित किये जायेंगे और इन सभी संस्थाओं को भेजे जायेंगे जो भवन निर्माण करने तथा भवन पूर्णता का प्रमाण–पत्र देती हैं। इस विषय पर प्रतिवेदन राज्य

स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति तथा विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। नगरीय विकास विभाग इन कार्यो के लिए नोडल विभाग होगा जिसका दायित्व इस समीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का भी होगा।

5.5.4 भूकम्प तीव्रता के क्षेत्र में स्थित इमारतों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में भूकम्प अवरोधी तकनीक से सुधार किया जायेगा एवं भवन मालिकों के द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि इमारत में भूकम्प अवरोधी तकनीक अपनाते हुए सुधार कर लिया गया है।

5.5.5 राज्य शासन पहल करते हुए सभी शासकीय इमारतों में प्राथमिकता पर भूकम्प अवरोधी तकनीक को अपनाते हुए आवश्यक सुधार करेगा, जिससे यह कार्य निजी आवासीय भवनों व इमारतों के मालिकों के समक्ष उदाहरण बन सके।

5.5.6 कार्य की पूर्णता का प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी/संस्था निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य न करने तथा शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्वयं उत्तरदायी होंगे। वर्तमान पदस्थापना से हटने के पश्चात् भी उनका दायित्व बरकरार रहेगा। दायित्व निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग अपने अधिनियम/नियम/कोड में इसका समावेश करते हुए दांडिक प्रावधान करेंगे।

5.5.7 जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर अलवर तथा भरतपुर जो भूकम्प जोन पाँच में आते है, वहाँ की सभी स्कूलों, अन्य सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, सिनेमाघरों एवं ऑडिटोरियम आदि की रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय बजट से समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर करेंगे। निजी आवासों व इमारतों की रेट्रोफिटिंग को सुलभ बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु व मध्यम कालीन ऋण, आवास मालिकों को उपलब्ध कराने के लिए पहल की जायेगी जिससे आवास मालिक अपने भवन/इमारत को भूकम्प अवरोधी बना सकें। इस कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश प्रसारित करने के लिए भारत सरकार से कहा जायेगा।

5.5.8 भूकम्प के संवेदनशील क्षेत्रों में भवनों तथा अन्य संपत्तियों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बीमा संस्थाओं को संवेदनशील क्षेत्र के लिए ऐसी विशेष स्कीम तैयार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिसमें लम्बी अवधि के लिए बीमा एक मुश्त प्रीमियम पर कुछ रियायत देते हुए कराया जा सके। यह वार्षिक बीमा एवं वार्षिक प्रीमियम देने की सुविधा के साथ ही साथ उपलब्ध रहेगी। अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले भवनों जैसे सिनेमा हॉल आदि में बीमा करवाना अनिवार्य किया जावे। संबंधित विभाग अपने अधिनियम में इसका दाण्डिक प्रावधानों के साथ समावेश करेंगे।

5.5.9 संवेदनशील क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि में यदि आवास/इमारत का कोई मालिक अपने मकान व सम्पत्ति का बीमा नहीं कराता है, तो जब भूकम्प आयेगा तो ऐसे व्यक्ति को हानि होने पर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमा न कराने की स्थिति में राज्य शासन पर वित्तीय भार बढ़ता है एवं राज्य शासन पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति उस सहायता का अधिकारी रहेगा, जो साधारण तौर पर संपत्ति विहीन व्यक्ति को प्रदान की जाती है।

5.5.10 अन्य निम्न व मध्यम खतरे वाले जोन में भी खासतौर से जयपुर शहर में इसी प्रकार की कार्ययोजना ताकि आपदा के कुप्रभावों को कम करके जन–धन की हानि कम से कम हो, अपनाई जायेगी।

5.5.11 भूकम्प प्रभावित जिलो के हर गांव एवं कस्बे में भूकम्प बचाव टीमों का गठन किया जायेगा तथा उन्हें भूकम्प से होने वाले सम्बन्धित नुकसान, उससे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जायेंगे तथा इन कार्यो को अन्य विभागो के ग्राम स्तर के कार्यक्रमों से समन्वित किया जायेगा।

5.6 औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएँ :–

5.6.1 औद्योगिक एवं रासायनिक तत्वों का पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन, पशु व मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विषाक्त प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा और उन्हें अभिलेखित किया जायेगा। ऐसे सभी हानिकारक उद्योगों को रिहायशी बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर स्थापित किया जायेगा। जमीन के उपयोग की योजना में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिहायशी बस्तियों को इन उद्योगों के पास निर्मित होने की अनुमति नहीं दी जाये।

5.6.2 उद्योग विभाग द्वारा शहर के बीच में स्थापित हानिकारक उद्योगों को शहर के बाहर भेजने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में उन्हें स्थानान्तरित किया जाए और भूमि उपयोग योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस प्रकार के उद्योगों के पास कोई आबादी फिर स्थापित न हो।

5.6.3 औद्योगिक सुरक्षा एवं वातावरण को परिरक्षित करने के लिए वर्तमान कानूनों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही साथ इन सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी जिससे औद्योगिक एवं वातावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। श्रम विभाग को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित वर्तमान अधिनियमों व नियमों को लागू करावे।

5.6.4 औद्योगिक इकाई ऐसे हानिकारक पदार्थो को जिनका वह उपयोग करती है या जो इकाई से प्रवाहित होते हैं, उनके संभावित हानिकारक प्रभाव की जानकारी आस–पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रचार माध्यम से प्रसारित करेगा। प्रभाव क्षेत्र में आने वाली जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि दुर्घटना की स्थिति में हानिकारक प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है।

5.6.5 औद्योगिक इकाई सुरक्षा के उन सभी उपायों को काम में लायेगी जिससे कारखाने के अन्दर एवं बाहरी क्षेत्र की आबादी पर घातक प्रभाव न पड़े। प्रत्येक उद्योग को उनके यहाँ घटने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्वयं एक स्थाई फण्ड निर्माण के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।

5.6.6 इन सभी औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं का नोडल विभाग श्रम विभाग होगा। अतः श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित उद्योग या फैक्ट्री द्वारा नियमानुसार सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय अपनाये गए हैं।

5.7 दुर्घटनाएं :–

5.7.1 रेल एवं सड़क यातायात में भारी वृद्धि हुई है और पर्याप्त सुरक्षा के उपायों के अभाव में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन से संबंधित सुरक्षा के मापदण्डों में सुधार किया जावेगा तथा इनका कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

5.7.2 चौकीदार विहीन रेलवे क्रासिंग पर विभिन्न प्रकार के यातायात के चालन में का जोखिम होता है। रेल विभाग को सभी प्रकार की चौकीदार विहीन क्रासिंग को धीरे–धीरे योजनाबद्ध ढंग से चौकीदार रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

5.7.3 नई सड़कों के निर्माण में उतार–चढाव की डिजाईन ऐसी बनाई जायेगी जिससे अन्धेमोड़ व दुरारोह, सीधी चढ़ाई की स्थिति जहाँ तक हो सके निर्मित न हो।

5.7.4 यातायात को सतर्क करने के लिए सड़क के दोनों ओर तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों एवं सडकों की स्थिति दर्शाने वाले बोर्ड जो खतरे के सूचक हों, लगाये जायेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे विज्ञापन जो यातायात चालकों का दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें हटाया जायेगा तथा उन्हें लगाने को हतोत्साहित किया जायेगा।

5.7.5 वाहनों के रफ्तार संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू किया जायेगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जायेगा, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

5.7.6 मानसून के समय निचले स्तर वाली सड़को एवं पुलों पर यातायात को रोकने की कार्यवाही की जाए। इस संबध में विधिसम्मत प्रावधान लागू करना चाहिए। चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में ऐसे सभी पुलों पर स्वचालित बैरियर लगाने चाहिए।

5.7.7 राजमार्गो पर वाहन को दुर्घटना से बचाने तथा सुरक्षित यातायात के लिए राजमार्गो के समीप दुकानें/भवनों आदि का निर्माण न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधिसम्मत नियम बनाये जायें।

5.7.8 प्रदेश के राजमार्गो पर हाईवे पेट्रोलिंग चेकपोस्टों की स्थापना की जावे। रेल एवं सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भेजने की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिये आवश्यक रूप से राज्य स्तर पर आयुक्त, परिवहन विभाग तथा जिला स्तर पर जिला परिवहन अधिकारी, राज. राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों एवं उनके ड्राईवरो तथा निजी वाहन मालिकों की गाड़ियों के नम्बर एवं उनके मालिको के फोन नम्बर भी जिला स्तर पर तैयार की गयी एस.डी. आर.एन. की बेवसाईट पर कम्प्यूटर पर उपलब्ध करायेंगे तथा हर छः माह में उनके फोन एवं पते आदिनांक करने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर आयुक्त कार्यालय में 24 घन्टे का कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना चाहिये। घायलों को शिफ्ट करने में जो भी परिवहन का खर्चा हो, उसके लिए एक अलग से फण्ड हो, जिससे तुरन्त भुगतान हो सके।

5.8. महामारी :–

राज्य का स्वास्थ्य विभाग उन बीमारियों को सूचीबद्ध करेगा जिसके कारण महामारी हो सकती है। वह सूची अनुसार महामारी वाली बीमारियेां से निपटने के लिए कार्ययोजना भी तैयार करेगा।

5.9 **स्काउट गाईड आपदा प्रबंधन दल का गठन :–**

विभिन्न आपदाओं के समय खोज व बचाव कार्यों के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2011 में जिले में स्काउट गाइड आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है। इन दलों को आपदा प्रबंधन सामग्री किट भी उपलब्ध करवाये गये हैं आपदा के समय इन दलों की सेवाएं लिये जाने के संबंध में प्रभारी स्काउट यूनिट लीडर के नाम मय कॉन्टेक्ट लिस्ट निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	स्काउट गाइड आपदा प्रबंधन दल विद्यालय/ग्राम का नाम	प्रभारी स्काउट यूनिट लीडर का नाम	सम्पर्क सूत्र
1	जिला स्काउट गाइड मुख्यालय चूरू	दयानन्द बुरड़क	9772985248
2	रा0उ0मा0विद्यालय ददरेवा(राजगढ़)	नरेश कुमार राय	9469210776
3	रा0उ0मा0विद्यालय भूखरेड़ी(रतनगढ़)	रामेश्वर प्रसाद मीणा	8875803803
4	रा0उ0मा0विद्यालय साहवा (तारानगर)	कल्याणसिंह	9610828099
5	रा0उ0मा0विद्यालय कानूता(सुजानगढ)	माणकचन्द	9829555260
6	रा0उ0मा0विद्यालय फोगा(सरदारशहर)	गजेन्द्रसिंह	9799759201

6.0 संस्थागत सहयोग :–

आपदा का प्रबंधन अब धीरे–धीरे एक विशेषज्ञ विषय हो गया है । इस नीति के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सहयोग की निरन्तर आवश्यकता होगी। अतः राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त को तकनीकी एवं प्रशासनिक (Logistic) सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन केन्द्र ह.च.मा. रीपा संस्था को यह कार्य सौंपा जायेगा।

यह संस्था निम्न कार्यो के लिए जिम्मेदार होगी :–

राज्य में आने वाली आपदाओं की निरंतर मॉनीटरिंग करना।

1. सभी तरह की आपदाओं का विवरण रखना।
2. राज्य, संभाग व जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने में सहयोग देना और यह सुनिश्चित करना कि यह कार्य नियमित ढंग से किया जा रहा है।
3. आपदा प्रबंधन के तकनीकी व विज्ञान संबंधी ज्ञान की जानकारी को अद्यतन करना एवं सभी संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के सदस्यों तक इस जानकारी का प्रचार–प्रसार करना।
4. राहत व पुनर्वास के कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करना और इससे संबंधित सभी कार्यवाही का विवरण रखना।
5. आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण देना और उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित करना।

6. आपदा के संकट के समय राज्य राहत आयुक्त एवं स्थानीय प्रशासन को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करना।

7. जलवायु परिवर्तन (Climatic Change) एवं भू–तापीयता (Global Warming) का राज्य में पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

7 वित्तीय व्यवस्था :–

7.1 नीति में आपदा के तीनों चरणों के लिए वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी, खासतौर से आपदा से पूर्व, भावी आपदाओं को रोकने के लिये एवं आपदा से हुऐ नुकसान के पुनर्विकास के लिये। जबकि आपदा राहत कोष से केवल आपदा के घटने के बाद राहत व्यवस्था हेतु ही राशि प्राप्त होती है, अतः आपदा कोष से उक्त दोनों चरणों के लिये वित्तीय व्यवस्था करना संभव नही होगा। अतः इन दोनों चरणों के वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार करनी होगी। आपदा से पूर्व तैयारी हेतु ढांचागत निर्माण के लिये राज्य सरकार हर विभाग के अपने बजट का 10 प्रतिशत भविष्य के लिए हर वर्ष निर्धारित कर सकती हैं।

7.2 औद्योगिक व रासायनिक उद्योगों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाली हानि की भरपाई जिम्मेदार औद्योगिक इकाई के द्वारा की जावेगी।

7.3 सडक दुघर्टना के पीड़ितों को राहत देने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है, फिर भी तात्कालिक राहत, वित्तीय, चिकित्सकीय या अन्य सहायता राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित किया जायेगा। वाहन मालिकों पर उपयुक्त कर लगाकर इस कोष में अंशदान लिया जायेगा। यह कोष राज्य के लोकलेखा का भाग होगा।

7.4 उन योजनाओं (Solatium Scheme) जिनमें सड़क वाहनों से दुर्घटना के पीड़ितों को क्षति पूर्ति प्रदान की जाती है, प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है।

7.5 जिला कलेक्टर को पीड़ित जनसंख्या को राहत पहुँचाने के लिए तात्कालिक व्यय हेतु जनता से अंशदान स्वीकार करने के लिए अनुमति दी जायेगी। इस तरह से प्राप्त राशि को बैंकों में एक अलग खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते से निकाली गई व जमा की गई राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष राज्य के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भेजा जायेगा तथा इसका वार्षिक सी.ए. ऑडिट कराया जायेगा।

अध्याय 02 :– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• चूरू जिले की परिचयात्मक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राज्य के उत्तर पूर्व में थार रेगिस्तान मे धोरों के बीच बसा चूरू अपनी कलात्मक हवेलियों, मन्दिरों की बेजोड़ स्थापत्य कला ,हस्त कला एवं वैविध्यपूर्ण संस्कृति के कारण आरंभ से ही अपनी विशिष्ट पहचान रखता आया है। दूर तक रेत के धोरों का संगीत यहां की सोंधी मिट्टी की महक से तो रू–ब–रू कराता ही हैं, यहां के वीरों की शौर्य, बहादुरी और साहस की अप्रतिम गाथाएं भी सुनाते प्रतीत होते हैं।

बड़े–बड़े बालूका स्तूपों से आच्छादित चूरू जिला बहादूरी, साहस एवं देशभक्ति के लिए विख्यात है। कलात्मक हवेलियों, धार्मिक आस्था के पौराणिक मंदिरों के साथ ही लोक कला एवं संस्कृति की अनूठी परम्पराओं के संवाहक चूरू जिले का इतिहास भी कम रोचक नहीं रहा है। कहते हैं हजारों वर्ष पहले इस भू–भाग पर समुद्र हुआ करता था।

भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण ही बाद में यह भू–भाग विशाल मरूस्थल बन गया। पहले समुद्र होने की ही शायद वजह है कि आज भी यहां का पानी खारा है। पौराणिक इतिहास के संदर्भ की बात करें तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी इस क्षेत्रा के अत्यधिक निकट से ही बहती थी। आज थार मरूस्थल का चूरू जिला ऐसा क्षेत्र है जहां सर्दी में अत्यधिक सर्दी तो गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां के लोग जीवट वाले है एवं जीवन के प्रति उत्साही है ।

साहित्य और कला की उर्वरा भूमि चूरू की ही देन रहे हैं प्रख्यात गीतकार पं. भरत व्यास तो संगीत के क्षेत्रा में खेमचंद प्रकाश, शंभु सेन, जमाल सेन,बशंत प्रकाश जानेमाने नाम हैं।

विश्वप्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य, सालासर हनुमानजी मंदिर, गोगाजी की जन्म स्थली– ददरेवा, साहवा का गुरूद्वारा आदि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व पौराणिक महत्व के स्थलों की दर्शनीय भूमि चूरू ने गत वर्षों में काष्ठकला के क्षेत्रा में भी विश्व मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

बीकानेर राज्य का पुराना नाम जांगल प्रदेश था जिसके अन्तर में कुछ और भद्र देश थे। प्राचीनकाल में जांगल देश की सीमा के अंतर्गत सारा बीकानेर राज्य था। राजस्थान डिस्टरिक्ट गजेटियर, 1970 के अनुसार चूरू की स्थापना चूहरू नामक जाट ने 1620 ए.डी. के आसपास की थी। इसी आधार पर इसका नाम चूरू पड़ा। चूरू ने देश के जल, थल और नभ सैनाओं में लगभग 10 हजार देश रक्षक जवान दिये है।

चूरू जिला राजस्थान के विशाल थार मरूस्थल का ही भाग है। यह जिला $27^{o}24$ से 29^{o} उत्तरी अक्षांश तक तथा 73^{o} 44′ से $75^{o}41'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य राजस्थान के उत्तर– पूर्व भाग में स्थित है । चूरू के उत्तर में हनुमानगढ़, उत्तर– पूर्व में हिसार (हरियाणा), दक्षिण–पूर्व में झुंझुनू व सीकर, दक्षिण– पश्चिम में नागौर व पश्चिम दिशा में बीकानेर जिला स्थित है।

अध्याय 03 :– चूरू जिला एक दृष्टि में
(सन् 2011 की जनगणनानुसार)

क्षेत्रफल :	13858 वर्ग किमी
जनसंख्याः	2039547
पुरूषः	1051546
स्त्रीः	988101
ग्रामीणः	1463312
शहरीः	576235
जनसंख्या का घनत्वः	123 प्रतिवर्ग किलोमीटर
कुल साक्षरता प्रतिशतः	66.75 प्रतिशत
पुरूषः	79.95 प्रतिशत
स्त्रीः	54.25 प्रतिशत
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशतः	28.96 प्रतिशत
स्त्राी प्रति एक हजार पुरूषः	940
अनुसूचित जातिः	451721 (22.15)
अनुसूचित जनजातिः	11245 (.55)
जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि दर (2001–2011)	20.35 प्रतिशत
कुल आबाद ग्रामों की संख्याः	847
कुल गैर आबाद ग्रामों की संख्याः	55

कुल कस्बों की संख्याः	10	चूरू,रतनगढ़,सुजानगढ़,सरदारशहर,राजगढ़,तारानगर रतननगर, राजलदेसर,बीदासर, छापर
उपखण्डः	7	चूरू,रतनगढ़,सुजानगढ़,सरदारशहर,राजगढ़,तारानगर,बीदासर
तहसीलः	7	चूरू,रतनगढ़,सुजानगढ़,सरदारशहर,राजगढ़,तारानगर,बीदासर
पंचायत समितिः	6	चूरू,रतनगढ़,सुजानगढ़,सरदारशहर,राजगढ़,तारानगर
नगरपरिषद	2	चूरू/सुजानगढ़
नगरपालिकाः	8	रतनगढ़,सरदारशहर,राजगढ़,तारानगर रतननगर, राजलदेसर,बीदासर, छापर

अध्याय 04 :– जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :–

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उददेश्य निम्न हैं :

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
2. विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा के प्रभाव को कम करने के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, अनुभव एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप भविष्य में उनसे निपटने के लिए रुपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रुपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना ।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रुप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक घ्यान दे दिया जाता है, तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) सह भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standaristation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिये समन्वय स्थापित करना।

अध्याय :– 05 जिले में गत दस वर्षों में हुई वर्षा (मि.मी में)का तहसीलवार संकलन

वर्ष	चूरू	सरदारशहर	रतनगढ	सुजानगढ	राजगढ	तारानगर
2007	449	303	415	272	532	460
2008	636	502	431	294	648	525
2009	165	220	245	317	325	327
2010	635	556	713	627	564	802
2011	645	591	533	509	680	1001
2012	430	283	400	665	431	368
2013	456	463	606	564	453	413
2014	566	421	414	461	502	466
2015	519	662	420	528	450	532
2016	575	258	328	407	767	460
योग वर्षा मि.मी में	5076	4259	4505	4644	5352	5354
औसत वर्षा मि.मी में	508	426	451	464	535	535

दस वर्षों के आधार पर जिले की औसत वर्षा 487 मि.मी है ।

वर्ष 2016 की औसत वर्षा 466 मि.मी है।

अध्याय :– 06 जिले में रेनगेज स्टेशनों की सूची

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को दिनांक 01 जून से 30 सितम्बर तक प्रति दिन जिले में हुई वर्षा के आंकड़ों को विभिन्न मानकों को निर्धारित करने हेतु प्रेषित किया जाता है। इन आंकड़ों को आधार मानकर राज्य स्तर पर विभिन्न स्तरों पर उपयोग में लाया जाता है। जिला स्तर पर इन आंकड़ों की व्यवस्था के अनुरूप जिले की समस्त 6 तहसीलों में रेनगेज स्टेशनों की स्थापना की गई है। जिले के समस्त 6 रेनगेज स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों को जिला स्तर पर संकलित किया जाता है। संकलन की व्यवस्था अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कन्ट्रोल रूम में वर्षा के आंकड़ों को संग्रहित कर आंकड़ों को राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाता है। जिले मे रेनगेज स्टेशनों की सूची निम्न है –

1. जिला मुख्यालय, चूरू
2. तहसील मुख्यालय, सरदारशहर
3. तहसील मुख्यालय, राजगढ
4. तहसील मुख्यालय, रतनगढ
5. तहसील मुख्यालय, सुजानगढ
6. तहसील मुख्यालय, तारानगर

अध्याय :– 07 आपदा का स्वरूप

आपदा का स्वरूप – कहावत है कि विपति रूप बदल कर सामने आती है और अपने विभत्स क्रियाकलापों से जन मानस के दिमाग में एक बूरी याद छोड़ जाती है, आपदा के विभिन्न रूपों के मुख्य रूप निम्न है –

बाढ अथवा अतिवृष्टि –

- अति बाढ से पाईप लाईनों का बहना
- पम्प सेटों का डूबना
- विद्युत आपूर्ति में व्यवधान
- पेयजल का प्रदूषित होना
- अचानक हुई वर्षा के कारण घरों का क्षतिग्रस्त होना
- वर्षा के कारण आवागमन के रास्ते बाधित होना

आग –

- सार्वजनिक सम्पतियों का आग के कारण नुकसान
- आग से जन एवं पशु धन की हानि

भूकम्प –

- मकानों का ढहना
- जन हानि
- विद्युत विच्छेद
- जमीन का धंसना

विस्फोट–

- जन एवं धन हानि
- अफरा–तफरी
- अफवाहों का फेलना

रेल अथवा सड़क दुर्घटना –

- जन एवं धन हानि
- यातायात का बाधित होना

अकाल –

- श्रम अनियोजन की स्थिति
- खाद्य सामग्री का अभाव
- पशु चारे का अभाव

ओलावृष्टि –

- फसल का नुकसान
- पशुधन का नुकसान

अध्याय :– 08 आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (4) आ.प्र. एवं स.आ./आ.प्र./19361 दिनांक 06.9.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगें। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके निर्णय ले सकेंगे तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकेंगे। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

स्थायी व्यवस्था :–

चूरू जिले में स्थाई रूप से जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है ।

क्र.सं.		
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
4	ए.डी.एम. (प्रशासन)	सदस्य
5	ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद	सदस्य
6	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8	अधिशाषी अभियंता, पी.एच.ई.डी.	सदस्य
9	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
10	अधिशाषी अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम	सदस्य
11	अधिशाषी अभियंता जो.वि.वि. निगम	सदस्य
12	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक	सदस्य
13	अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि.	सदस्य
14	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
15	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
16	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
17	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
18	मण्डल अभियन्ता (ग्रामीण) (फोन्स)	सदस्य
19	उपमण्डल अधिकारी फोन्स	सदस्य
20	उपमण्डल अधिकारी (तार)	सदस्य
21	स्टेशन मास्टर रेल्वें विभाग	सदस्य
22	एन.जी.ओ.	सदस्य

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।

- नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।
- जिला नियत्रंण कक्ष का दूरभाष नम्बर 01562–251322 (1077 टोल फ्री) रहेगा।

अध्याय :– 09 आपदा से पूर्व एवं पश्चात किये जाने उपाय एवं समन्वय

बाढ :–

चूरू जिला मुख्यतः मरूस्थलीय जिला होने व गत वर्षों के वर्षा के आंकड़ों के दृष्टिगत जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है, फिर भी वर्षा के दिनों में कस्बों के निचले स्थानों पर वर्षा का पानी इक्ट्ठा हो जाने के कारण आंशिक रूप से वर्षा की स्थिति बन सकती है। इसके लिए प्रशासकीय स्तर पर निम्न उपाय किये जाते हैं –

1. बाढ़ की स्थिति साधारणतया वर्षा के दिनों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती है। इस संबंध में जिला स्तर पर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारीगण, तहसीलदारगण, अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, जल एवं विद्युत, समस्त अधिशाषी अधिकारीगण, नगरपालिकाओं एवं जिले की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारीगण को निर्देश जारी कर सतर्क कर दिया जाता है।
2. जिला स्तर से जारी निर्देशों में उपरोक्त अधिकारीगण को बाढ़ की स्थिति से निपटने बाबत नीचले क्षेत्रों जिनमें वर्षा का पानी एकत्रित होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका हो, का पूर्व से ही चयन कर उन क्षेत्रों का दौरा करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
3. विभिन्न विभागों को इस बाबत भी निर्देशित किया जाता है कि अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होने से पानी की निकासी की व्यवस्था एवं पानी निकासी हेतु उपकरणों एवं उनके क्रियाशीलता की स्थिति तथा पानी निकासी हेतु स्थल का चयन आदि के संबंध में भी निर्देशित किया जाता है।
4. मौसम विभाग से जिले में अतिवृष्ट की आंशका के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट को तुरन्त उपखण्ड अधिकारीगण एवं पुलिस विभाग को दी जाती है एवं उन्हे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं जनता का इस बाबत जागरूक रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।
5. अतिवृष्टि के कारण प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर उन्हे किसी सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, मंदिर, मस्जिद एवं धर्मशाला आदि में ठहराव की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
6. प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि के कारण हुये नुकसान का तुरन्त आंकलन कर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रभावितों को तात्कालिक आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

–: अग्नि दुर्घटना :–

आग लगने के कारण

1. आग का मुख्य कारण आग का लापरवाही पूर्वक उपयोग करना है।
2. आग ज्वलनशील पदार्थों, चुल्हे की आग का उपयोग के उपरान्त खुला छोड़ देना, आतिशबाजी, शॉर्ट सर्किट आदि के लापरवाही पूर्वक अथवा दुर्घटनावश किये गये उपयोगों के कारण हो सकती है।
3. खेतों–खलिहानों में फसल के पक जाने के उपरान्त शुष्क रूप में खड़ी अथवा कृषकों द्वारा ढेरी के रूप में एकत्रित की गई फसल में चिन्गारी के रूप में आग के लगने के कारण आग उत्पन्न हो सकती है।
4. कच्चे फूस के घरों में बीड़ी, सिगरेट, माचिस की अनबुझी तिली के कारण आग लग जाने की संभावना बन जाती है।
5. किसी ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ के कारण घटित दुर्घटना के कारण आग लग सकती है।
6. रसोई घर में गैस के प्रयोग में असावधानी के कारण, कच्चे घरों में लकड़ी या कोयले की अंगीठी के कारण, बिजली के शॉर्ट सर्किट, विवाह स्थलों पर अस्थाई रूप से स्थापित की गैस भट्टियों से, विद्युत उपकरणों के असावधानी पूर्वक प्रयोग से, बिजली फिटिंग में लापरवाही, आतिशबाजी के समय, ज्वलनशील पदार्थों के गलत प्रयोग आदि के कारण आग लग सकती है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान व फूस की झोंपड़ियों में, बीड़ी एवं सिगरेट पीकर माचिस की तिल्ली इधर–उधर फैंक देने के कारण, तेज हवा चलने से राख में थोड़ी सी भी शैष रही चिंगारी उड़कर किसी शुष्क पदार्थ पर गिर जाने से, मिट्टी के दीपक, चिमनी, लालटेन आदि का लापरवाही से उपयोग के कारण आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।

आग से बचाव

1. सर्वप्रथम आग लगने के संभावित कारणों एवं स्थानों की पहचान कर सावधानी रखें।
2. घरों में बिजली की फिटिंग किसी कुशन मिस्त्री से ही करवायें एवं आई.एस.आई. प्रमाणित तार, सामान एवं यंत्रों की प्रयोग करें साथ ही खराब उपकरणों को समय–समय पर मिस्त्री द्वारा बदलवाते रहें।
3. बिजली के उपकरणों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
4. पाण्डाल या अस्थाई मंडप में बिजली के तारों को खुला न रखें, अग्निशमन यंत्र की उपलब्धतता सुनिश्चित करें।
5. रसोई घर को हवादार बनाये एवं रसोई घर में अतिरिक्त वस्तुओं का जमावड़ा न हो।
6. नायलोन व जल्दी आग पकड़ने वाले वस्त्रों को पहनकर रसोई में काम नहीं करें।
7. अगर गैस लीक हो रही तो तुरन्त रेगुलेटर बन्द कर देवें एवं सिलेण्डर को रसोई से खींच कर खुले स्थान पर ले जावें।
8. चिमनी, लालटेन व लैम्प आदि को उचित स्थान पर रखें एवं इनके पास किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ न हो।
9. चूल्हे को कभी भी खुला न छोड़ें।
10. बीड़ी, सिगरेट, माचिस की तिल्ली आदि को बुझाकर ही फैंके।
11. घास, पुआल आदि शुष्क धान्य पदार्थो की ढेरी उस जगह बनाये जहां आग लगने की संभावना नहीं हो।
12. खलिहानों, कच्चे फूस के मकानों आदि के पास आतिशबाजी न करें।
13. खेतों में अस्थाई रूप से चुल्हा बनाकर भोजन आदि बनाने के उपरान्त चूल्हे की आग को पूर्ण रूप से बुझा देवें।
14. आग की तीव्रता को ध्यान में रखकर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101), आपदा नियंत्रण कक्ष (1077) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन कर सूचित करने में संकोच न करें।

आग का उपचार

1. आग लगी देखकर तुरन्त शोर मचा देना अधिक उपयुक्त एवं प्रासांगिक होगा।
2. आग लगने पर पानी की उपलब्धतता के निकटतम स्त्रोत की तलाश कर अग्नि स्थल पर पानी डालने की व्यवस्था करनी चाहिये। सूखी मिट्टी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
3. आग लगने पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को फोन (101) कर सूचित करें।
4. शरीर के कपड़ों में आग लगने पर तुरन्त अपने आपको कम्बल में लपेटकर लोट लगाना चाहिये।
5. आग के समय आग बुझाने वाले व्यक्तियों को अपने नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लेना चाहिये।
6. भीषण आग लगने पर बच्चों, महिलाओं, वृद्ध पुरूषों को आग के स्थल से दूर भेज देनेा चाहिये एवं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि आग में कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर न फंस गया हो।

भूकम्प :–

यह सच है कि भूकम्प किसी की जान नहीं लेता परन्तु कमजोर ढांचे, नई इमारतों के निर्माण में न्यूनतम मानदण्डों की अनदेखी तथा हमारी लापरवाही समग्र विनाश का कारण बनती है। भूकम्प एक ऐसी आपदा है जिसके बारे मे किसी प्रकार का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है एवं अगर भूकम्प की रिचर स्केल पैमाने तीव्रता अधिक हुई तो इससे जन–धन हानि की सभावना भी अधिक रहती है। अतः आवश्यक होगा कि भूकम्प से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों को दृष्टिगत रखकर ही भूकम्पीय आपदा का तीव्रता को कम किया जा सकता है। भूकम्प से पूर्व व भूकम्प के पश्चात ध्यान रखने योग्य बिन्दु निम्न प्रकार से हो सकते हैं –

1. भवन के नवीनीकरण तथा नये भवन के निर्माण के समय भूकम्परोधी भवन नियमावली का अवश्यमेव पालन करें, नियमावली आपको www.nicee.org पर उपलब्ध हो सकती है।
2. भूकम्प के दौरान उपर से गिरने वाली वस्तुएँ व मलबा जैसे आंशिक रूप से भवन का गिरना, छत से प्लास्टर का गिरना या विद्युत फिटिंग के उपर से गिरने से ज्यादा क्षति होती है बजाय धरातल से।
3. परिवार के सदस्यों को बिजली के मेन स्विच आदि के स्थान के बारे में ज्ञान होना चाहिये ताकि संकट के समय उन्है बन्द किया जा सके।

4. घरों में आलमारियाँ दीवार से सटी होनी चाहिये। सिर तक ऊँचाई से उपर से भारी सामान का रखना या लटकाना जानमाल के लिए क्षतिकारक हो सकता है।
5. सोने का स्थान खिड़कियों व उपर रखे भारी सामान, शीशे इत्यादि से दूर होने चाहिये।
6. घरों एवं व्यावसायिक केन्द्रों में बिजली बन्द करने का मुख्य स्विच व विद्युत उपकरण जिनसे शोर्ट सर्किट होने की संभावना हो, को तुरन्त बन्द कर देना चाहिये।

7. बाहर निकलने के रास्ते के नजदीक ऊँचे व भारी सामान को जो रास्ता बाधित कर सकते हो, को हटा देना चाहिये।
8. शीशे के सामान को खुली या ऊँचाई वाले स्थान पर रखने की बजाय आलमारी में रख देना चाहिये।
9. भारी भूकम्प के दौरान मूलभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी तथा आपातकालीन सेवायें कुछ समय के लिए बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में घरेलू वैकल्पिक व्यवस्थायें भी बनाये रखनी चाहिये।
10. भूकम्प के दौरान आपातकालीन सामान जैसे दवाईयाँ, बैटरी, शुष्क भोजन, रेड़ियो, आग बुझाने का यंत्र, कम्बल आदि की व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध होती है।
11. भूकम्प दौरान घर के सभी सदस्यों को खुले में चले जाना चाहिये एवं पशुओं को भी खुला छोड़ देना चाहिये।
12. रसोई घर में स्थित गैस सिलेण्डर व स्टोर में रखे हुये सिलेण्डर को बाहर खुले में रखना नहीं भूलना चाहिये।
13. भूकम्प के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ से स्वयं को दूर रखें।
14. अगर आप यह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों, आसपड़ौस एवं मौहल्ले का जायजा अवश्य ले लेवें और आपदा की स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी हर सम्भव सहायता को तत्पर रहें।

भूकम्प की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र V** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र IV** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र III** :– इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्र II** :– क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

5) **क्षेत्र I** :– इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण (भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

–:: विस्फोट ::–

विस्फोट कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे किसी दुर्घटना में किसी प्रकार की बड़े वाहनों की टक्कर, किसी ज्वलनशील पदार्थ में आग लग जाने से, त्याहारों के समय पटाखों की दुकान में विस्फोट, आतंकवादी गतिविधियों में किया गया विस्फोट, गैस सिलेन्डर के फटने के कारण हुआ विस्फोट एवं किसी रासायनिक इकाई में रासायनिक द्रवों में रिसाव के कारण उम्पन्न विस्फोट आदि। विस्फोटों के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये –

1. विस्फोट की प्रकृति असावधानी की प्रायिकता से सीधी–सीधी जुड़ी है। अतः यह आवश्यक होगा कि विस्फोट की आंशका के चलते सावधानी बरती जावे तो विस्फोट होने की प्रायिकता को कम किया जा सकता है।
2. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी अवाँछित वस्तु के दिख जाने पर बिना किसी हिचकिचाहट के आसपास के लोगों को एकत्रित करना चाहिये एवं तुरन्त पुलिस को सूचित कर उक्त स्थल से दूर हट जाना चाहिये।
3. दूर्भाग्यवश किसी स्थल पर विस्फोट हो गया हो तो इसकी सूचना बिना कोई विलम्ब किये पुलिस एवं जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं निकटतम सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल को दे दी जावे।
4. पुलिस एवं प्रशासकीय अधिकारीगण के मौके पर पहुँचने तक घायलों के प्राथमिक उपचार एवं स्थिति को काबू में रखने का प्रयास करना चाहिये।
5. पुलिस एवं प्रशासकीय अधिकारियों के मौके पर पहुँचते ही उन्है अपनी जानकारी के अनुरूप विस्तार से घटना स्थल की स्थिति एवं कारणों की जानकारी देते हुए उनके निर्देशानुसार सहायता करनी चाहिये।
6. विस्फोट होने के उपरान्त संभावित है किसी प्रकार की अफवाह फैले इस हेतु जागरूक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अफवाहों का खंडन करते हुए स्थिति को संभालने की चेष्टा करे।
7. घायलों को अस्पताल पहुँचाने, उनके पास सामान, उनके परिजनों को सूचना देना, खून की व्यवस्था करना आदि ऐसे क्रियाकलाप है जो दुःख के क्षणों में मानवता की सेवा करने का पुनित कार्य है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में गर्व करने वाले अनमोल स्वर्णीम क्षण होते हैं जिनका जिक्र वह किसी भी जगह सिर ऊँचा करके कर सकता है।

–:: दुर्घटना ::–

दुर्घटना किसी भी असावधानी का पर्याय होती है। जिसमें मानवीय असावधानी एवं तकनीकी खराबी आदि हो सकती है। दुर्घटना के पश्चात मानवीय संवेदना से किये गये कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को सहायता एवं संवेदना की आवश्यकता रहती है। अतः आवश्यक होगा कि पीड़ा के इन क्षणों में पीड़ित की सहायता कर पुण्य का भागी बना जाये

1. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होनी चाहिये की पीड़ित हम पीड़ित को मदद कर उसकी पीड़ा को कम करें।

2. किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर मानवीय एवं प्रशासकीय प्रबंधन एक अति महत्वपूर्ण घटक होता है जिसके अन्तर्गत प्रबंधन एवं मानवीय सहायता द्विस्तरीय वाँछित है।

3. दुर्घटना होने पर वाहन में फंसे घायल व्यक्तियों को जिनको अस्पताल पहुँचाना है उनको तुरन्त अस्पताल को सूचना देते हुए अस्पताल पहुँचाना चाहिये एवं उनके लिए रक्त दान हेतु स्वयं एवं जनता को तत्पर कर घायलों को सहायता पहुँचायी जा सकती है।

4. रेल या बस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के परिजनों को सूचित करते हुए, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को घटना स्थल एवं अस्पताल आने तक घायलों की सेवा सुश्रुषा करनी चाहिये।

5. घायल व्यक्तियों पास यात्रा के समय रहे सामान के चोरी हो जाने की आंशका को देखते हुए घटना स्थल पर सामान की निगरानी हेतु रहना चाहिये एवं घायलों एवं उनके परिजनों तक सामान पहुँच जाये इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये।

6. वाहनों की टक्कर में यातायात का बाधित होना भी एक समस्या बन जाता है। अतः यह आवश्यक होगा कि इस बाबत यातायात पुलिस के आने तक यातायात बाधित नहीं हो इसके लिए घटना स्थल से पूर्व ही वाहनों को सूचित कर किसी दूसरे रास्तेसे वाहनों को ले जाने बाबत कहना चाहिये जिससे घटना स्थल पर अनावश्यक रूप वाहनों द्वारा यातायात बाधित होने की समस्या नही रहे।

–:: अकाल या दुर्भिक्ष ::–

मारवाड़ी में एक कहावत है कि ''तीजो कुरियो चौथो काळ'' अर्थात इस मरूधरा में प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्द्ध–अकाल तथा चौथे वर्ष अकाल अर्थात दुर्भिक्ष की स्थिति बनती है। अकाल की स्थिति प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करने के साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी को स्थायी बेराजगारी में बदल सकती है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने के साथ–साथ पशुधन को भी बूरी तरह प्रभावित करती है।

अकाल की स्थिति को अभावग्रस्त क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक पक्ष को प्रभावित होने से रोकने, क्षेत्र के पशुधन को बचाने एवं पलायन से रोकने हेतु चारे की व्यवस्था तथा अनावृष्टि के कारण पेयजल की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। इसी प्रकार जिला स्तर पर सहायता अनुभाग की देखरेख में जिला स्तर पर अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य संपादित किये जाते है जो जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से राहत कार्यों के संचालन एवं निष्पादन हेतु कार्य विभाजन कर राहत कार्य संचालन की व्यवस्था करती है।

इस प्रकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य संचालन हेतु की गई त्री–स्तरीय व्यवस्था को लागू कर राहत कार्य सफलतापूर्वक संचालित किये जाते हैं।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य संचालन में प्राथमिक उद्देश्य ''आहत को राहत'' निहित होता है एवं इसी के अनुरूप राहत कार्य संचालित किये जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार से प्राप्त श्रम सीमा के अन्तर्गत जिला स्तर पर राहत कार्य संचालन हेतु प्रत्येक पंचायत समिति को एक निश्चित श्रम सीमा आवंटित कर श्रम नियोजन किया जाता है।

श्रम नियोजन अन्तर्गत श्रमिकों को मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा अन्तर्गत राहत कार्यों को तीन भागों में बाँटा जाता है, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, सार्वजनिक परिसम्पति निर्माण के पक्के कार्य, कच्चे कार्य। व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में व्यक्तिगत कुण्ड निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, बागवानी हेतु वृहत स्तरीय कुण्ड निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक परिसम्पति निर्माण कार्यों में सामुदायिक भवन निर्माण, धर्मशाला निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सार्वजनिक कुण्ड

निर्माण एवं मरम्मत, कूप निर्माण एवं गहरा करना, ग्रेवल सड़क निर्माण, डिग्गी निर्माण, टंकी निर्माण, चारदीवारी निर्माण, किचन शेड निर्माण, पशु खेली निर्माण, खुर्रा निर्माण, खरंजा निर्माण, पी.एस.पी. टूंटी खेली निर्माण, छत से जोड़ते हुए कुण्ड निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण, ईन्टों की सड़क निर्माण, पक्के जोहड़ों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार आदि पक्के निर्माण प्रकृति के कार्य शामिल है।

राहत कार्य अन्तर्गत कच्चे कार्यों के करवाये जाने के पीछे श्रम नियोजन की मंशा को देखते हुए अभावग्रस्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए विभिन्न प्रकृति के कच्चे कार्य करवाये जाते हैं जिनमें खाई फेंसिंग, कच्चा जोहड़ खुदाई कर मिट्टी निकालना, रास्ता सुगमीकरण, पक्के जोहड़ से मिट्टी निकालना, तालाब खुदाई कार्य आदि करवाये जाते हैं।

इसी प्रकार अभावग्रस्त क्षेत्र के पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चारे की व्यवस्था एवं पशु चारे के भावों को नियन्त्रण में रखा जाता है। इस हेतु अभावग्रस्त चारा डिपो संचालन की जिला स्तर से अनुमति दी जाती है जिनके द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्र के पशुपालकों को पशुओं हेतु अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराया जाता है।

आवारा एवं गौशाला में स्थित पशुओं के संरक्षण हेतु पंजीकृत गौशालाओं को छोटे एवं बड़े पशुओं के हिसाब से गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू एवं निर्बाधित रखने हेतु जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश किये जाते हैं एवं पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टेंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

राहत कार्यों के व्यवस्थित रूप से एवं राज्य सरकार तथा जिला स्तर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालन हेतु ब्लोक स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो अपने क्षेत्र में राहत कार्य संचालन के लिए पूर्ण रूप से उतरदायी होता है। प्रभारी अधिकारी के कार्यों मे विकास अधिकारी, पंचायत समिति के माध्यम से जिला सहायता समिति अनुभाग में राहत कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित करवाया जाना एवं मस्टररोल पारित करवाकर राहत कार्य आरम्भ करवाना है। प्रभारी अधिकारी राहत कार्य आरम्भ होने के उपरान्त यह सुनिश्चित करता है कि राहत कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे हैं एवं ब्लोक एवं पंचायत समिति स्तर पर आवंटित श्रमिक सीमा के अनुरूप ही श्रमिकों का नियोजन हो रहा है। राहत कार्य पूर्ण होने के पश्चात नये राहत कार्यों के प्रस्ताव भी भिजवा दिये जावे। राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो इसके उपाय करना।

साधरणतया संबंधित उपखण्ड अधिकारी की प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है जो अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों यथा तहसीलदार, विकास अधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्राम सेवक को कार्यनुसार राहत कार्य का उचित विभाजन करते हुए राहत कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए निर्देशित करता है एवं किसी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायत पाये जाने पर शिकायत का निस्तारण बाबत उचित कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में उचित स्थान पर चारा डिपो खोले जाने बाबत प्रभारी अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर, सहायता को लिखा जाकर चारा डिपो खोला जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि पशुपालकों चारे की कमी न हो एवं पंचायत समिति स्तर पर चारा डिपो पर विक्रीत होने वाले चारे के निर्धारित भावों से अधिक भाव से चारा न बेचा जावे एवं चारे की आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए चैक पोस्ट की स्थापना व समय–समय पर चारा डिपो का निरीक्षण भी किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित पंजीकृत गौशालाओं का निरीक्षण कर जिला सहायता समिति को गौशाला के छोटे एवं बड़े पशुओं की संख्या उपलब्ध कराकर उन्है अनुदान हेतु अभिशंषा की जाती है तथा गौशाला में पशु का संरक्षण हो इसके लिए जिला एवं राज्य स्तर पर जारी निर्देशों को गौशाला को उपलब्ध कराया जाता है एवं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि गौशाला का निर्देशों के अनुरूप ही संचालन करें एवं अनुदान प्राप्त करें।

इस प्रकार राज्य सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से घोषित अभावग्रस्त क्षेत्रों मे अपनी कल्याणकारी नीतियों के अनुरूप राहत कार्य संचालन करती है।

—:: ओलावृष्टि ::—

खड़ी फसल पर ओलावृष्टि हो जाने पर काश्तकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है जिसके कारण काश्तकार को आर्थिक रूप से हानि सहनी पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकार को आंशिक रूप से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक मदद दी जाती है एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर काश्तकार को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाती है। ओलावृष्टि के पश्चात जिला प्रशासन स्तर पर निम्न कार्यवाही की जाी है –

1. पटवारी द्वारा ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में फसल के नुकसान, पशु हानि एवं जन हानि के संबंध में मौके पर जाकर हुए नुकसान के संबंध में फर्द मौका तैयार किया जाकर अविलंब तहसीलदार को पेश किया जाता है।

2. तहसीलदार द्वारा ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की पटवारी द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट को लघु, सीमान्त एवं बड़े काश्तकारों की श्रेणीवार विभाजन कर तहसीलवार ईकजाई कर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर, सहायता अनुभाग मे प्रेषित की जाती है।

3. उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी द्वारा ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान स्थिति का आंकलन किया जाता है एवं काश्तकारों का मनोबल बढाते हुए उन्है राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हुए नुकसान की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता के संबंध में आश्वत किया जाता है।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर प्रस्तुत हुए नुकसान की प्राप्त रिपोर्ट को जिला स्तर पर ईकजाई करते हुए जिले में ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को भेजी जाती है एवं जिला प्रशासन राज्य सरकार से काश्तकारों की फसल एवं पशु धन हानि के संबंध में अवगत कराते हुए काश्तकारों को आर्थिक मदद की व्यवस्था करता है।

5. काश्तकारों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न घोषणायें जैसे राजस्व लगान में छूट या लगान का माफ करना, ओलावृष्टि प्रभावित काश्तकारों के बिजली के बिल माफ करना तथा आर्थिक रूप से मदद करना आदि शामिल है जिससे काश्तकार ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सके।

6. ओलावृष्टि आदि से बचाव हेतु काश्तकारों को चाहिये कि वे सरकार द्वारा संचालित फसल बीमा का लाभ उठायें तथा पशु धन हानि से बचने हेतु पशु बीमा भी कराये ताकि नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके।

• आपदा से पूर्व एवं पश्चात किये जाने उपाय

आपदा से पूर्व की गई तैयारियो से आपदा के समय किये जाने वाले बचाव कार्यों, आपदा प्रबंधन, विभिन्न विभागो से तालमेल, उपलब्ध संसाधनों के संबंध में बारे में जानकारी पूर्व से ही उपलब्ध हो जाने के कारण आपदा की विभित्सता से निपटने में मदद मिलती है एवं विभाग, स्वयंसेवी संगठन एवं व्यक्ति को इस हेतु किये जाने वाले उपायों के संदर्भ में जानकारी एवं समन्वय एवं तालमेल से किये जाने वाले बचाव कार्यों के बारे में जानकारी होती है। व्यक्ति, विभाग एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात किये जाने वाले कार्यो के संबंध में निम्न तैयारियाँ संभावित है –

• आपदा से पूर्व

- क्या आपको विभाग से संबंधित आपदाओं की जानकारी है।
- क्या आपको इन आपदाओं के स्वरूप तथा इनसे होने वाली संभावित हानियों के बारे में पूर्ण जानकारी है।
- क्या आपने अपने कार्य क्षेत्र में उन स्थानों को चिन्हित कर लिया है जो संभावित आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं।
- यदि ऐसी कोई आपदा गत वर्षों के दौरान आपके कार्यक्षेत्र में घटित हुई हो तो क्या आपने उसके प्रभाव, आवृति, तीव्रता, हानि आदि का विस्तृत अध्ययन किया है।
- गत वर्षों के दौरान आई आपदा में आपके विभाग द्वारा निपटने हेतु किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी एवं भविष्य में इसी प्रकार की आपदा की पुनरावृति होने पर कार्यवाहियों की समीक्षा करके भविष्य में किये जाने वाले संभावित सुधारों को इंगित कर लिया है।

- क्या आपके विभाग द्वारा संभावित आपदा से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना बना ली गई है ताकि आपदा आने पर योजना को तुरन्त क्रियान्वित किया जा सके।
- क्या आपने आपदा की स्थिति में नागरिकों व स्वयंसेवी संगठनों की सहायता प्राप्त करने के प्रयासों को भी कार्य योजना में शामिल किया है।
- क्या आपने विचार–विमर्श तथा विश्लेष्ण करके यह सुनिश्चित कर लिया है कि आपदा से निपटने हेतु आप एवं आपके विभाग द्वारा बनाई गई कार्ययोजना अपने आप में सम्पूर्ण एवं व्यावहारिक है।
- क्या आपने अपनी कार्ययोजना से जिला आपदा प्रबंधन समिति, सहयोगी विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अवगत करा दिया है।
- क्या आपने योजना की प्रतियां अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भेज दी है।
- क्या आपने अपने विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इस योजना की जानकारी एवं इस संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश दे दिये हैं।
- क्या आपके विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को यह जानकारी है कि आपदा की स्थिति आने पर उसके क्या दायित्व हैं।
- क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आपदा के समय प्रबंधन का दायित्व कौन वहन करेगा, आपदा के समय कौन विशेष गतिविधियों के संचालन एवं बचाव दलों का नेतृत्व एवं समन्वय स्थापित करेगा।
- यदि आपदा से बचाव हेतु विभागीय कर्मचारियों को किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो इस संबंध में आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।
- आपात स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों की सूची आपके आपके पास उपलब्ध है या नहीं, एवं उनकी कार्यस्थिति एवं क्षमता के बारे में आपकों पूर्ण जानकारी है।
- विभाग के पास अनुपलब्धता वाले संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाये इस बारे में आपको क्या जानकारी है।
- क्या आपने इस संबंध में विचार कर लिया है कि मानव शक्ति एवं धन के अभाव की स्थिति में तत्काल क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
- आपदा से निपटने में अन्य विभागों से समन्वय अति महत्वपूर्ण घटक है। क्या आपने इस संबंध में आपदा के समय विभिन्न विभागों से किस प्रकार से समन्वय स्थापित करने के बारे में सोचा है।

- दोषपूर्ण उपकरणों को आप द्वारा ठीक करवा लिया होगा एवं आपदा के समय क्षतिग्रस्त होने वाले उपकरणों की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आपने क्या कार्ययोजना बनाई है।
- क्या आपका सूचना तंत्र इतना प्रभावी है कि आपदा के समय सूचनाओं के प्रेषण, संपादन एवं ग्रहण में कोई समस्या तो नहीं आ रही है।

आपदा के दौरान

- क्या आप द्वारा आपदा के आगमन, उसके प्रभाव तथा हानि आदि से जिला प्रशासन, आपके मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर दिया है।
- क्या आपने अपने विभाग के समस्त कर्मचारियों को आपदा स्थल पर उपस्थित होने एवं बचाव संबंधी कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।
- क्या आपके पास कर्मचारियों, अधिकारियों, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों के दूरभाष एवं व्यक्तिगत मोबाईल नंबर आपके पास डायरी में उपलब्ध है ताकि आवश्यकतानुसार तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।
- आपदा के समय संसाधनों की उपलब्धि एवं कमी होने पर आपूर्ति के संबंध में कार्य योजना बना ली है।
- आपदा आते ही आप द्वारा सभी विभागों से सहयोग की आंकाक्षा के संबंध में आशा रखते हुए सम्पर्क कर लिया है।
- क्या आप द्वारा गैर सरकारी संगठनों को आपदा में सहयोग करने बाबत अपील कर ली है।
- क्या आपने आपदा के समय पैदा होने वाली अफवाहों के खंडन की समुचित व्यवस्था कर ली है।
- यदि जनता को आपदा के बचाव संबंधी तात्कालिक निर्देश जारी करने हो तो क्या आप द्वारा निर्देशों के प्रसारण बाबत ध्वनि प्रसारण व प्रकाशन की व्यवस्था कर ली है।
- क्या आपने स्वयं निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया है कि बचाव एवं राहत कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं एवं विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों, जनता के साथ प्रभावी रूप से समन्वय स्थापित कर राहत कार्य प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।

- क्या आपने सुनिश्चित कर लिया है कि आपदा के दौरान आपने जिन स्वयंसेवी संगठनों से आपदा में सहायता करने हेतु निवेदन किया है उनके पास पर्याप्त संसाधन, मानव शक्ति एवं समर्पण की कार्य क्षमता हैं एवं आप द्वारा इसका आंकलन कर उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य विभाजन कर लिया गया है।

अध्याय :– 10 आपदा के समय विभागीय कर्तव्य एवं व्यवस्थाएं

आपदा का चारित्रिक लक्षण है कि वह भिन्न–भिन्न रूपों में भिन्न–भिन्न आवृतियों के साथ आकर जन एवं धन हानि करती है। कभी वह भूकम्प के रूप में सामने आती है तो कभी सूखा एवं अकाल, अतिवृष्टि आदि रूपों में।

पृथक–पृथक विभागों के पास भिन्न–भिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता एवं श्रम शक्ति उपलब्ध होने के कारण आपदा प्रबंधन के उपायों के बारे में उसी के अनुरूप सोच, क्रियान्विति एवं भागीदारी हो सकती है।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि समस्त विभाग अपनी सामुहिक भागीदारी समझते हुए किसी विशेष अनुभाग को जिसकी आपदा प्रबंधन में विशेष भागीदारी समाहित हो की मदद कर आपदा प्रबंधन में सहायता करे।

विभागों के दायित्व संक्षिप्त रूप से निम्न हो सकते हैं –

सूखा एवं अकाल

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सहायता अनुभाग – समस्त जिले में सूखे एवं अकाल की स्थिति का पूर्ण विवरण सहित आंकलन, समस्त राहत सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ, अनाज, चारा, पानी व हैण्ड पम्प की व्यवस्था एवं बजट का प्रावधान, पडौसी जिलों से व्यापक प्रबंधों बाबत समन्वय बनाना। राहत कार्यों की नियमित समीक्षा, निरीक्षण, अकाल राहत कार्यों में निम्न स्तर तक के लोगों को रोजगार की व्यवस्था व सरकारी तंत्र को राज्य सरकार के आदेशों की सक्रीय क्रियान्विति, सामग्री को जरूरतमंदों तक सही समय पर सही आदमी तक पहुंचाई जानी सुनिश्चित करना।

उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार – आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान एवं जिला स्तर पर जारी आदेशों, निर्देशों की पालना करते हुए राहत कार्यों को उपखण्ड/तहसील स्तर पर संपादित करना। राहत कार्यों के प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजना। श्रमिक नियोजन हेतु तय श्रमिक सीमा का सदुपयोग करना। राहत गतिविधियों के सफल संचालन हेतु रणनीति बनाना। श्रमिकों को राहत कार्यों पर नियोजित करने की व्यवस्था करना एवं जिला स्तर पर राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

जिला रसद अधिकारी – अनाज का आरक्षित स्टॉक की उपलब्धतता सुनिश्चित करना एवं आवश्यकता होने पर प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की मांग के अनुरूप रसद उपलब्ध कराना। इसी प्रकार आरक्षित/ अतिरिक्त भंडारण के लिए निकटतम जिलों से भी सम्पर्क बनाए रखना। इसी प्रकार खाद्य सामग्री, फूड पैकेट्स, आटा, दाल, नमक,

आलू, चावल, कैरोसीन, गैस आदि की उपलब्धतता सुनिश्चित करना एवं काला बाजारी को रोकना। एफ.सी.आई./ वेयर हाऊस के मध्य मालमेल रखना।

पशुपालन विभाग – अभावग्रस्त क्षेत्रों के जानवरों में किसी प्रकार की महामारी न हो इसके लिए पूर्वाभ्यास करते हुए जानवरों का ईलाज व कारकस डिस्पोजल, दवाईयाँ, चिकित्सकों एवं अधीनस्थ स्टाफ की व्यवस्था अन्तर्गत मोबाईल टीमों का गठन किया जाना। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए उन्हे समय पर सूचनाओं का सम्प्रेषण करना।

कृषि विभाग – कम पानी से पैदावार देने वाली फसलों को उगाने हेतु कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था पर निगरानी रखना।

चिकित्सा विभाग – राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व निःशुल्क औषधियों का वितरण, खाद्य पदार्थों का नमूनीकरण। अभावग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों एवं पशुओं में किसी प्रकार की महामारी का प्रकोप प फैलने पाये इसके लिए कार्यवाही करना।

परिवहन विभाग – प्रशासन की मांग एवं जरूरत के अनुसार समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वाहन उपलब्ध कराना।

शीत लहर

चिकित्सा विभाग – एम्बुलेन्स की व्यवस्था, अधीनस्थ चिकित्सालयों को अतिरिक्त औषधियों की व्यवस्था, निमोनिया एवं अन्य जीवन रक्षक दवाओं का अतिरिक्त भंडार, मैडिकल टीमों का गठन, जन साधारण को शीत लहर व शीत से बचाव हेतु उपाय प्रकाशित करना, अस्पतला में भर्ती होकर ईलाज करा रहे रोगियों हेतु कम्बल व अन्य गर्म कपड़ों/बिस्तरों की व्यवस्था रखना।

रसद विभाग – जन साधारण के लिए कोयला, लकड़ी, कैरोसीन, एल.पी.जी. इत्यादि की उचित मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करना।

नगर परिषद/ पालिका – रैन बसेरों की व्यवस्था करना, शीत लहर के दौरान असहाय/ भिखारियों की मृत्यु होने पर शव के दाह संस्कार की व्यवस्था करना।

उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार – रैन बसेरों की व्यवस्था करना, शीत लहर के दौरान संबंधित विभागों द्वारा किये जा रहे उपायों पर निगरानी रखना, असहाय व गरीबों को चिकित्सा, कपड़े व शीत लहर बचाव सामग्री उपलब्धतता व पहुंच सुनिश्चित करना व आम जन को शीत लहर से बचाव बिन्दुओं से अवगत कराना।

भूकम्प :–

जिला प्रशासन – भूकम्प आने पर बड़े पैमाने पर जान–माल का नुकसान होने के कारण वृहत स्तर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही करना एवं प्रति क्षण की रिपोर्ट राज्य एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करना एवं समस्त आंकड़ों का संग्रहण जिला प्रशासन का प्रथम दायित्व होता है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करना कि भुकम्प प्रभावित क्षेत्र के चप्पे–चप्पे पर राहत काय आरम्भ हो चुके हैं एवं ऐसे

स्थल चिन्हित कर जहाँ व्यक्तियों के मलबे में दबे होने की आंशका हो वहाँ प्राथमिकता से राहत कार्य करना ताकि जन हानि को कम किया जा सके। घायलों की देखभाल के संबंध में अस्पतालों को पूर्ण सजग रहने, अस्पतालों में रक्त की कमी न होने पाये इस बाबत आव्हान करवाना। संचार तंत्रों को अविलंब दुरस्त करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य शामिल है।

पुलिस विभाग – भूकम्प के दौरान सुरक्षा एवं संचार तंत्रों का अत्यधिक महत्व बढ जाता है। ऐसी स्थिति में कम्यूनिकेशन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जनरेटर्स, जेवीसी, डम्पर, क्रेन, गैस कटर आदि की व्यवस्थायें करना, अफवाहों से जन साधारण को सावचेत करना, लूटपाट के अवसरों को कम करना, भूकम्प के दौरान मलबे में दबे व्यक्तियों को निकालने हेतु रणनीति के तहत कार्यवाही करना।

होम गार्ड – भूकंपीय आपदा के समय कानून व्यवस्था संबंधी गतिविधियों, पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए उन्हे सहयोग करना।

चिकित्सा विभाग – चिकित्सा विभाग का प्रमुख दायित्व है कि भूकम्प के दौरान उत्पन्न स्थिति का आंकलन कर उसी के अनुरूप चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को जायजा लेवें, वृहत स्तर पर घायलों के आने के कारण बिस्तरों की कमी न होने पावें, बल्ड बैंक में रक्त की कमी न हो इसके लिए तुरन्त स्वयंसेवी संगठनों का आव्हान कर रक्तदान शिविर लगाया जावे। जिला प्रशासन को चिकित्सकों की कमी होने पर तुरन्त सुचित किया जावे ताकि जिला प्रशासन द्वारा प्रशासकीय स्तर पर राज्य सरकार से पड़ौसी जिलों जहाँ भूकम्प का प्रभाव कम हो वहाँ से चिकित्सकों को टीम बुलाई जा सके। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की दवाईयों की उपलब्धता को सुनिश्चित अवश्य कर लिया जावे एवं दवाओं के अभाव की स्थिति किसी भी हालत में न होने पाये इससे पूर्व ही जिला प्रशासन को कम होने वाली संभावित दवाओं के बारे में अविलंब सूचित कर दवाओं की आपूर्ति के बारे में कार्यवाही कर दी जानी चाहिये क्यों कि दवाओं की अनुपलब्धता भयावह हो सकती है।

दुर्घटना :–

जिला प्रशासन – किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व है कि वहाँ पहुँच कर यह सुनिश्चित करे कि घायलों को ईलाज अस्पताल पहुँचा दिया जावे ताकि उनका ईलाज हो सके। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य हेतु सभी संभावित विभाग को बुलाकर बचाव कार्य आरम्भ करवाया जावे तथा बचाव कार्य में किसी प्रकार की कोताही न हो इसका ध्यान रखा जावे। घायलों एवं मृतकों की सूची बनाकर स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना।

पुलिस विभाग – पुलिस विभाग की दुर्घटना के समय उपस्थिति परिहार्य है एवं दुर्घटना स्थल पर बचाव स्थिति की कार्यवाही करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। घायलों की अस्पताल पहुँचाना, दुर्घटना स्थल पर पुलिस जाब्ता की व्यवस्था करना ताकि अस्पताल पहुँचे घायल व्यक्तियों के सामान की निगरानी की जा सके। मृत व्यक्तियों का अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर पोस्टमार्टम की व्यवस्था करवाकर शवों का परिजनों को सुपुर्द करवाने की कार्यवाही में भागीदारी निभाना एवं दुर्घटना के समय दुर्घटना स्थल, अस्पताल परिसर एवं अन्य किसी संभावित स्थल पर घटना के कारण उत्पन्न आक्रोश को शांत करने की सद्भावनापूर्ण समझाने बुझाने की कार्यवाही करना आदि पुलिस प्रशासन के महत्वपूर्ण दायित्व हैं।

चिकित्सा विभाग – किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारीगण द्वारा तुरन्त आपात बैठक लेकर घटना की गंभीरता की स्थिति का आंकलन कर उसी के अनुरूप चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को जायजा लेकर सभी चिकित्साकर्मियों को तुरन्त अस्पताल पहुँचने के निर्देश जारी कर देने चाहिये, घायलों के ईलाज की सुचित व्यवस्था हो इस हेतु सभी उपाय सुनिश्चित करते हुए सभी मेडिकल की दुकानों को खुली रखने के निर्देश जारी कर देने चाहिये, बल्ड बैंक में रक्त की कमी न हो इस बाबत आश्वस्त हो। चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न होने पावे इस बाबत सभी उपायों के बारे में कार्य योजना बनाकर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दुर्घटना के कारण अस्पताल के ईलाज हेतु आये घायलों एवं परिजनों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ईलाज की कार्यवाही आरम्भ कर दी जावे। किसी प्रकार की अभावग्रस्तता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला प्रशासन को सूचित कर दिया जावे। चूँकि इस प्रकार की आपदा में रक्त की कमी एवं दवाओं की अनुपलब्धता के बारे में मुख्य रूप से सोचा जाना चाहिये ताकि ईलाज में किसी प्रकार विलंब न होने पाये एवं किसी अपरिहार्य स्थिति से पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन को सामना न करना पड़े।

अध्याय :– 11 आपदा से बचाव हेतु प्राथमिक उपाय व प्राथमिक उपचार

दुर्घटना कहीं भी किसी भी वक्त घटित हो सकती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, परन्तु यदि हम निम्न बातों का ध्यान रखें तो दुर्घटनाओं को काफी कम कर सकते हैं –

1. पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करें तथा सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ वाहनों का आवागमन देखकर ही सड़क पार करें।
2. वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें।
3. दुपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट पहनें तथा कार चलाते समय ड्राईविंग बैल्ट अवश्य बांधें।
4. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें।
5. कभी भी नशे में वाहन नहीं चलायें।
6. रसोई घर में काम करते वक्त आग पकड़ने वाले कपड़ों जैसे नायलॉन आदि ना पहने।
7. गैस चुल्हे व स्टोव की नियमित जांच करवाते रहें।

8. कभी भी रसोई अथवा अथवा सोने वाले कमरे को बन्द करके गैस, स्टोव अथवा कोयले जलाकर न रखें। अन्य जगहों का फर्श गीला नहीं छोड़ें।
9. बाथरूम, रसोई व घर की अन्य जगहों का फर्श गीला नहीं छोड़ें।
10. दवाईयाँ, कीटनाशक व बिजली के उपकरण बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
11. कीटनाशक काम में लेने से पहले खाने की सभी वस्तुओं को ढक देवें।
12. कीटनाशक काम में लेने के पश्चात उस स्थान को तुरन्त छोड़ देवें व हाथ मुँह साबुन से धो लेवें।
13. छोटे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ें।
14. स्वच्छ पानी व खाने का ही उपयोग करें।

• प्राथमिक चिकित्सा :–

समस्त सावधानियाँ बरतने के उपरान्त भी यदि आपके सामने, आपके घर में अथवा बाहर किसी को चोट लग जाये या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाये तो आप प्राथमिक चिकित्सा द्वारा उसको आराम दे सकते हैं। यही नहीं, आप उस व्यक्ति की जान बचाकर उसको जीवनदान भी दे सकते हैं –

1. फर्स्ट एड बॉक्स

प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए आपके पास, घर, दफ्तर तथा गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना अति आवश्यक है। फर्स्ट एड बॉक्स में निम्नलिखित वस्तुएँ होनी चाहिये।

1. कीटाणु रहित रूई व पट्टियाँ।
2. डेटॉल अथवा सेवलॉन
3. बैंड एड
4. बन्ध लगाने की रबर की ट्यूब
5. एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे निओस्पोरिन, बीटाडीन, सौफरामाइसिन, बरनोल आदि।
6. बुखार व दर्द निवारक दवाएं जैसे सेरिडोन, क्रोसिन आदि।
7. उल्टी के लिए स्टेमेटिल/एवोमिन व दस्त हेतु डिपेन्डोल आदि।
8. बोरिक पाऊडर, आयोडेक्स, ईनो आदि।
9. कैंची, चिमटी, स्प्रिट, लाल दवा, थर्मा मीटर, साफ कपड़े का टुकड़ा, डिस्पोजेबल दस्ताने व सेक करने के लिए गर्म पानी की थैली।
10. आपातकालीन टेलीफोन नम्बर।

2. फर्स्ट एड करने से पूर्व

1. शांति व धैर्य बनाये रखें।
2. रोगी के शरीर की गर्मी को बनाये रखें व उसे कम से कम हिलायें।
3. रोगी को ढांढस बंधायें।
4. रोगी के आसपास भीड़ न होने दे व उसे ताजा हवा आने दें।
5. अपने हाथों को अच्छे से धो लें व डिस्पेजेबल दस्तानें पहन लें।
6. अपने मुंह व नाक को रूमाल से ढक लेवें।
7. रोगी की शारीरिक क्रियाओं की जांच करें।
8. रोगी के बारे में पूर्ण सन्तुष्ट होकर ही दवा दें।

3. बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा

कई बार घर में खेलते हुए बच्चे कंकड़, सिक्का अथवा ऐसी कोई वस्तु मुंह में डाल लेते हैं। कई बार कोई कीड़ा उनके शरीर के किसी अंग में चला जाता है। ऐसी स्थिति से निबटने के लिए यह जानना आश्यक है –

2. अगर बच्चे के गले में कुछ अटक गया हो तो तुरन्त उसे उलटा करें ताकि सिर छाती से नीचा हो जाये।
3. अब बच्चे के दोनों कन्धों के बीच में मुट्ठी से जल्दी–जल्दी थपथपायें।
4. अगर थपथपाने पर भी अटकी हुई वस्तु बाहर न निकले तो उसे सीधा करके तुरन्त डॉक्टर के पास ले जायें।
5. कान में मक्खी आदि चली गई हो तो तुरन्त उसमें गुनगुना तेल डालें।
6. यदि कान में कीड़े हो गए हो तो तेल में ग्लिसरीन मिलाकर डालें तथा स्वयं उसे तीली आदि से निकालने की कोशीश न करें।
7. यदि नाक से खून बह रहा हो तो सिर ऊँचा करके बच्चे को लिटा दें, उसकी नाक पर बर्फ रखें।

4. मोच

1. मोच लगे स्थान पर बर्फ का सेक करना चाहिये।
2. मोच लगे स्थान को मजबूती से क्रेप बैंडेज बांध दें।
3. दर्द अधिक होने पर दर्द निवारक दवा देवें एवं इसके उपरान्त भी दर्द ठीक न होने पर चिकित्सक को दिखावें।

5. घाव अथवा चीरा होने पर

1. किसी भी तरह की चोट लगने पर अथवा घाव होने पर 24 घन्टे के अन्दर टिटनेस का इन्जेक्शन अवश्य लगावें।
2. प्राथमिक उपचार करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लेवें व दस्तानें पहन लेवें।
3. घाव अथवा कटे हुए स्थान को हृदय की सतह से ऊँचा रखें।
4. सर्वप्रथम बहते हुए खून को रोकने का प्रयास करें।
5. घाव को गर्म पानी व एंटीसेप्टीक लोशन जैसे डिटोल, सैवलोन आदि से धोकर साफ करें।
6. अगर घाव पर खून जम गया हो तो उसे हटायें नहीं।
7. घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर हल्की पट्टी बांध दें। पट्टी बहुत कसी हुई नहीं अथवा ढीली नहीं होनी चाहिये।
8. अधिक रक्त बहने पर बाजू अथवा जांघ पर पन्द्रह से बीस मिनिट के लिए कस कर कोई कपड़ा बांध दें।
9. अगर घाव बड़ा हो, तो टांके लगवाने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में रोगी को तुरन्त अस्पताल ले जायें।

6. आन्तरिक रक्त स्त्राव होने पर

1. रोगी को तसल्ली देवें और पीठ के बल लेटा देंवें।
2. रोगी को कम्बल आदि ओढा देंवे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे।
3. सांस में तकलीफ होने पर कत्रिम श्वास देवें।

4. रोगी को अतिशीघ्र अस्पताल ले जावें।
5. कान से रक्त स्त्राव होने पर चोटग्रस्त कान की ओर सिर को झुका दें व कान के उपर हल्की सूखी पट्टी बांध दें।
6. नाक से खून बहने पर रोगी के सिर को आगे की ओर झुकाकर बिठा दें, उसे नाक की जगह मुंह से सांस लेने की सलाह दें।

7. फ्रेक्चर

1. रोगी को आराम से लिटा दें।
2. कभी भी स्वयं हड्डी ठीक स्थान पर करने की कोशीश न करें।
3. खपच्ची आदि से टूटे हुए अंग को बांधते समय ध्यान रखें कि वह बहुत कसी हुई न हो तथा गांठ खपच्ची के उपर आये।
4. संभव हो तो खपच्ची आदि पर रूई अथवा मुलायम कपड़ा लगाकर पट्टियां बांधे।
5. यदि खपच्ची या अन्य कोई कड़ी चीज न मिले तो टूटे हुए अंग को स्वस्थ अंग का सहारा दे देना चाहिए।
6. रोगी को तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।

8. विद्युत करंट

1. सर्वप्रथम मेन स्विच को बन्द करे देवें। यदि मेन स्विच न मिले तो लकड़ी के हत्थे वाली किसी वस्तु से तुरन्त तार को काट देवें।
2. रबड़ की चप्पल पहनकर लकड़ी की छड़ी, कम्बल, चमड़े की बेल्ट या डोरी से पीड़ित को बिजली से छुड़ाने का प्रयास करें।
3. करंट से कोई अंग जल गया हो तो उस स्थान पर ठंडा पानी डालें व एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध दें।

9. बेहोशी

1. बेहोश व्यक्ति को तुरन्त हवादार स्थान पर ले जाकर लिटा दें।
2. बेहोश व्यक्ति द्वारा पहने हुए कपड़ों को ढीला कर दें।
3. अगर बेहोश व्यक्ति की सांस बंद हो रही हो तो उसे क्रत्रिम श्वास देवें।
4. पीड़ित के पैरो के नीचे तकिया लगा दें।
5. पीड़ित को सूंघने वाला नमक सुंघायें।
6. बेहोश व्यक्ति जब तक अचेत है उसे खाने पीने की वस्तु न दें।
7. बेहोश व्यक्ति के मुंह पर ठण्डे पानी के छींटें दें।

10.जहर

1. यदि किसी व्यक्ति द्वारा जहरीली गैस सूंघ ली गई है तो उसके तुरन्त किसी स्वच्छ हवादार स्थान पर ले जावें तथा उसके कपड़े ढीले कर देवें।
2. पीड़ित के शरीर पर ठण्डे पानी के छींटें दें।
3. यदि उसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसे कृत्रिम श्वास देवें।

4. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कीटनाशक, नींद की गोलियां अथवा सड़ा हुआ बासी खाना आदि खा लिया हो तो तुरन्त उसके गले में अंगुली डालकर अथवा नमक और राई/खाने वाला सोडा पानी में डालकर पीड़ित को पिलायें तथा उसे उल्टी करायें। ध्यान रहे व्यक्ति का पेट पूर्ण रूप से खाली हो जाना चाहिये अन्यथा जहर बाद में असर कर सकता है।
5. यदि किसी व्यक्ति ने एसिड या क्षारीय पदार्थ ले लिया हो तो उसे किसी भी हालत में उल्टी न करायें।
6. यदि किसी व्यक्ति ने तेजाब, गंधक जैसे एसिड पी लिया हो तो उसे चूने, साबुन, मीठा सोडा आदि का पानी पिलायें।
7. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्षारीय पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, कोस्टिक पोटाश आदि ले लिया हो तो उसे नींबू, टाटरी या इमली का पानी पिलायें।
8. यदि एसिड अथवा क्षारीय पदार्थ की पहचान न हो तो पीड़ित व्यक्ति को ठण्डा पानी अथवा ठण्डा दूध पिलायें।
9. सांप के काटने पर उस स्थान के दोनों ओर बन्ध लगा दें व हर आधे घन्टे में उसे 30 सैकण्ड के लिए ढीला करें। रोगी को तुरन्त विषरोधी इन्जेक्शन लगवायें व डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवायें।
10. यदि मधुमक्खी, बिच्छु या कोई अन्य विषैला कीड़ा काट ले तो सूई या चिमटी से डंक निकाल दें तथा लाल दवा लगा दें।
11. कुते अथवा अन्य जानवरों के काटने पर तुरन्त उस स्थान पर स्वच्छ पानी से धोयें ताकि लार वहां से हट जाये। कटे हुए स्थान के दोनों ओर बन्ध तथा घाव पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा दें।
12. काटने वाले कुते पर नजर रखें। अगर वह 10 दिनों में मर जाये या पागल हो जाये अथवा भाग जाये तो डॉक्टर से रेबीज का इन्जक्शन लगवायें।

11.डूबने पर

1. पानी में डूब रहे व्यक्ति को किसी तैरने वाले व्यक्ति द्वारा ही बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिये एवं तैराक व्यक्ति द्वारा उसके कपड़े, पैर अथवा बाल पकड़कर खींच कर बाहर लाने का प्रयास करें।
2. यदि तैराक उपलब्ध न हो तो रस्सी अथवा लम्बा कपड़ा डूब रहे व्यक्ति के पास फैंक देवें एवं उसे रस्सी पकड़ने के लिए कहें।
3. बाहर निकल जाने पर पीड़ित को उल्टा कर उसके पेट से पानी निकालने का प्रयास करें।
4. पानी निकालने के पश्चात उसे कृत्रिम श्वास देवें।
5. गीले कपड़े उतार कर व्यक्ति को सूखे कपड़ों में लपेट दें ताकि उसके शरीर की गर्मी बनी रहे।
6. जब व्यक्ति ठीक महसूस करे तो उसे गर्म दूध, चाय अथवा काफी देवें।

अध्याय :– 12 जल संरक्षण

चूरू जिला एक शुष्क प्रदेश है। जिले की मरूस्थ्लीय भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों का अभाव, नहरी पानी की अनुपलब्धता के कारण अक्सर जिले में शुष्कता की स्थिति बनी रहती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जल संरक्षण के उपायों को नीचले स्तर पर लागू कर संरक्षण के उपाय किये जाये।

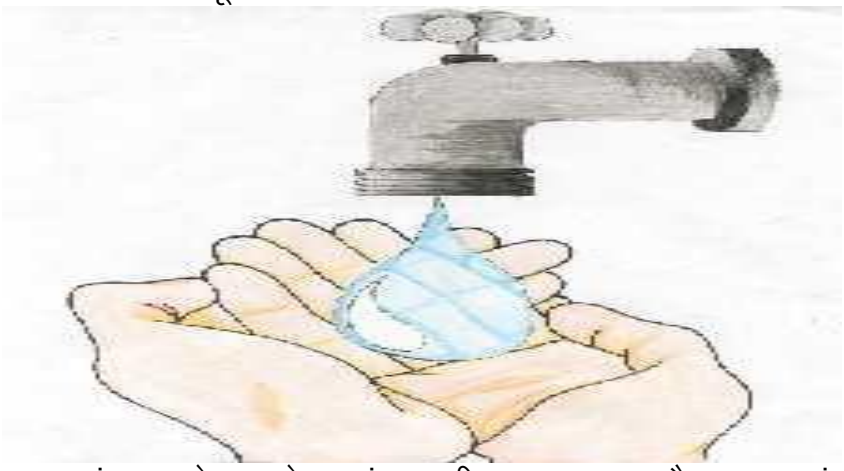

जल संकट को खामोश संकट भी कहा जाता है। जल संरक्षण के तात्कालिक उपाय निम्न हो सकते हैं –

1. जल को व्यर्थ न बहने दें, जितना आवश्यक हो उतना ही जल उपयोग में लावें।
2. व्यर्थ जल को पेड़–पौधों में डाल देवें।
3. टंकियों तथा पाईपों से पानी का रिसाव न हो इसके उपाय किये जावें तथा सड़क तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पानी का रिसाव होने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सूचित करें।
4. जहाँ तक सम्भव हो सके पानी का दोहरा प्रयोग करें एवं जल स्त्रोतों का स्वच्छ रखें।
5. सोने से पहले यह सुनिश्चित कर लेवें कि घर के समस्त जल स्त्रोतों से पानी तो नहीं टपक रहा है।
6. नहाने एवं कपड़े धोने के लिए टब का प्रयोग करें।
7. वर्षा जल संग्रहण कर जल संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

अध्याय :– 13 आपदा विशेष कार्य योजना एवं प्रबंधकीय आंकड़ों का संग्रहण

आपदा विशेष के समय प्रबंधकीय व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर श्रम एवं संसाधनों की उपलब्धता के बारे मे पूर्व से जानकारी हो, इससे सूचनाओं का सम्प्रेषण समय पर एवं सही स्थान पर हो जाने से उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर आपदा विशेष की प्रायिकता को कम किया जा सकता है।

इस संबंध में जिले की समस्त तहसीलों के विकास अधिकारीगण एवं समस्त नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारीगण कार्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी आवश्यक है।

अग्नि दुर्घटना

1.) अग्नि दुर्घटना के समय की जाने वाली विभागवार तैयारियाँ एवं उपलब्ध संसाधन

नगरपालिका, राजगढ

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	––
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	शहर के सभी बाहरी वार्ड कच्ची बस्ती के कच्चे मकान व औधोगिक क्षेत्र, समारोह, होली एवं दीपावली आदि पर्वों पर संभावित
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	––
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	नगरपालिका के पास अग्नि दुर्घटना को रोकने हेतु वर्तमान में कोई साधन नहीं है। अग्निशमन वाहन हेतु निदेशालय स्तर पर उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जाना है, जिसकी समस्त व्यवस्था हेतु 30 लाख रूपये वाहन व गैरेज व अग्निशमन केन्द्र बनाने हेतु आवश्यकता है।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	1.) मानव शक्ति – मजदूर उपलब्ध है। 2.) मशीन – ट्रेक्टर 3.) मेटेरीयल – आवश्यतानुसार उपलब्ध है। 4.) अग्निशमन वाहन नहीं है। कस्बे की 80 हजार की आबादी है।
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पी. डब्ल्यु.डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एच.ई.डी., विद्युत विभाग व जनता का सहयोग।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 01559–222039 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, तारानगर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	समय–समय पर छोटी मोटी दुर्घटना शहर में होती रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	नया व पुराना बस स्टैन्ड, मुख्य बाजार एवं स्लम एरिया
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	25 लाख, जिसमें फायर ब्रिगेड स्थापित करने हेतु आवश्यक उपकरण आदि पर व्यय।
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	25 लाख, जिसमें फायर ब्रिगेड स्थापित करने हेतु आवश्यक उपकरण आदि पर व्यय।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	मानव शक्ति उपलब्ध है। पानी हेतु मय टैंकर एवं पम्प सेट सहित ट्रैक्टर चालित है।
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	विधुत विभाग, जलदाय, पुलिस एवं राजस्व विभाग
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	नगरपालिका तारानगर का दूरभाष नंबर 01561–240245

नगरपरिषद, चूरू

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना होने पर अविलंब सहायता प्रदान की गई एवं घटनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर अग्नि दुर्घटना के कारण होने वाली हानि को कम करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	मेला स्थलों, होटलों में एलपीजी गैस के उपयोग एवं विद्युत अवछेदन के, गैस के गोदाम, सिनेमा हॉल, रासायनिक ईकाइयों, लकड़ी के कारखानों आदि
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	1.50 लाख अग्निशमन वाहनों के पुनर्भरण एवं आपदा से संबंधित पाईप, निप्पल, फॉम आदि खरीदने पर।
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	2.50 लाख भविष्य में अग्नि शमन वाहनों के दुरस्तीकरण एवं आपदा से संबंधित सामन क्रय में।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर किसी प्रकार की

	घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	हानि होने पर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है एवं जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है।
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	जिला प्रशासन
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु परिषद के दूरभाष नंबर 01562–250318 एवं 101 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, रतननगर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	––
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	नहीं
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	––
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	––
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	मानव शक्ति उपलब्ध है।
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	अग्नि शमन वाहन हेतु चूरू नगरपालिका, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पी.डब्ल्यु.डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एच.ई.डी., विद्युत विभाग व जनता का सहयोग।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 01562–281224 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपरिषद, सुजानगढ

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	वर्ष 2007–08 में दो वर्ष 2008–09 में एक अग्नि दुर्घटना हुई।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, पटाखों की दुकानों के आस–पास, केरोसीन तेल स्टोरेज स्थलों पर
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	0.50 लाख
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	2.00 लाख
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	फायर ब्रिगेड गाड़ी, डम्पर प्लेसर गाड़ी, जीप, तीन ट्रेक्टर्स मय ट्रोली, फायर मैन, ड्राईवर एवं सफाई कर्मचारी
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	विधुत विभाग, जलदाय, पुलिस एवं राजस्व विभाग
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	नगरपरिषद सुजानगढ का दूरभाष नंबर 01568–220004 व 01568–222419 है।

नगरपालिका, छापर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	––
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	वार्ड नं. 1, 2 , 15, 16, 18, 19 एवं 20 इन वार्डो में आंशिक तौर से कच्चे मकान होने के कारण अग्नि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	––
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्नि शमन वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन वं स्टाफ की व्यवस्था हो, इसके लिए अनुमानित राशि 18.00 लाख रूपये।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन	इस हेतु पालिका के पास कोई संशाधन उपलब्ध नहीं है।

	(पृथक–पृथक उल्लेख करें)	
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा अग्नि शमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ में उपलब्ध अग्नि शमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 242099 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, रतनगढ

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	1. परमेश्वरलाल कन्दोई की दुकान, घन्टाघर के पास दक्षिणी बाजार में। 2. इन्दराज खिचड़ के मकान के सामने, जाट कॉलोनी में।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	कच्ची बस्ती, कपड़े की दुकानों, पटाखों की दुकाने, औधोगिक ईकाईयों में
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	शून्य
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	शून्य
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	सफाई सेवक 69 (मानव शक्ति)
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	जलदाय विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	कार्यालय का दूरभाष – 01567–222095 अग्निशमन दूरभाष – 01567–60013

नगरपालिका, राजलदेसर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	––
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	वार्ड नं. 2 , 5 एवं 12 में आंशिक तौर से कच्चे मकान होने के कारण अग्नि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	––
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्नि शमन वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन वं स्टाफ की व्यवस्था हो, इसके लिए अनुमानित राशि 18.00 लाख रूपये।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	इस हेतु पालिका के पास कोई संशाधन उपलब्ध नहीं है।
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा अग्नि शमन वाहन हेतु नगरपालिका रतनगढ में उपलब्ध अग्नि शमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 232504 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, बीदासर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	––
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	काजर बस्ती, ढोलियान मौहल्ला एवं मेघवाल बस्ती
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	6.00 लाख
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्नि शमन वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन वं स्टाफ की व्यवस्था हो, इसके लिए अनुमानित राशि 20.00 लाख रूपये।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या	इस हेतु पालिका के पास कोई संशाधन उपलब्ध नहीं है।

	संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	जलदाय विभाग, बीदासर तथा अग्नि शमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ में उपलब्ध अग्नि शमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	टेलीफोन एवं वायरलेस पुलिस स्टेशन

नगरपालिका, सरदारशहर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	––
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	औधोगिक क्षेत्र
3.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	–––
4.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	––
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक–पृथक उल्लेख करें)	पालिका के पास अग्नि शमन वाहन उपलब्ध है।
6.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	जलदाय विभाग, बीदासर तथा अग्नि शमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ में उपलब्ध अग्नि शमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	पालिका का दूरभाष नंबर 01564–220030

बाढ एवं अतिवृष्टि

1.) बाढ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली विभागवार तैयारियाँ एवं उपलब्ध संसाधन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की कार्य योजना का ब्यौरा निम्न है –

1. **चूरू शहर** – चूरू शहर में विभाग द्वारा निचले स्थानों जिनमें वर्षा के पानी का अक्सर भराव होता है जिसकी निकासी पम्पिग सेट द्वारा विभाग द्वारा की जा रही है। वर्षा आरम्भ होने की स्थिति में पम्पिग सेट की ग्रिसिंग एवं रिपेयरिंग का कार्य करवा लिया जाता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी भराव स्थलों का विवरण एवं पानी निकासी की व्यवस्था निम्न प्रकार से है –

अ.) **जौहरी सागर –** जौहरी सागर ड्रनेज योजना का कार्य आपणी योजना के द्वारा पी.एम.सी., पीएच.ई.डी. वृत चूरू के द्वारा संधारित किया जा रहा है, जिसमें लगे पम्पिग सेट का ब्यौरा निम्न प्रकार है

1.) 160 किलोवाट, एक सैट – 600 एम.एम.

2.) 120 किलोवाट, एक सैट – पाईप लाईन से बीहड़ में डाला जा रहा है।

3.) 90 किलोवाट, एक सैट

4.) 52 किलोवाट, एक सैट

5.) 37 किलोवाट, एक सैट

इसके अतिरिक्त 320 के.वी.ए. का डी.जी.सैट भी स्थापित है।

ब.) गिनाणी वार्ड नं. 1 – 7.5 एच.पी व 5 एच.पी. का एक–एक सैट

स.) चान्दनी चौक – 12.5 एच.पी. का एक सैट

द.) ताजूशाह तकिया – 12.5 एच.पी. का एक सैट

इसके अतिरिक्त लोहिया कालेज ग्राउण्ड, सेठिया स्मृति भवन, गांधी नगर, शारदा स्कूल के पास, प्रेम प्रिन्टर के पास वार्ड नं. 11 पूर्णमल सोनी के घर के पास क्षेत्रों में वर्षा के पानी की निकासी नगरपालिका द्वारा की जा रही है।

नगरपरिषद, चूरू

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	दैनिक पानी की निकासी व्यवस्था हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार निम्न व्यवस्थायें की गई है – • गिनानी वार्ड नं. 2 विद्युत मोटर जलदाय विभाग द्वारा • जोहरी सागर वार्ड नं. 2 विद्युत मोटर जलदाय विभाग द्वारा • ताजूशाह तकिया वार्ड नं. 15, विद्युत मोटर जलदाय विभाग द्वारा • चांदनी चौक वार्ड नं. 34 विद्युत मोटर जलदाय विभाग द्वारा • नर्सरी वार्ड नं. 11, डीजल पम्प 8 एच.पी. , नगरपालिका, चूरू

		• डिग्गी वार्ड नं. 11, डीजल पम्प 15 एच. पी., नगरपालिका, चूरू • लोहिया कालेज ग्राउण्ड विद्युत मोटर नगरपालिका द्वारा • स्कूल नं. 7 डीजल पम्प 8 एच.पी., नगरपालिका, चूरू • गांधी नगर वार्ड नं. 22 डीजल पम्प 15 एच.पी., नगरपरिषद, चूरू
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• गिनानी वार्ड नं. 2 • जोहरी सागर वार्ड नं. 2 • रिसालदारों की कोटड़ी, वार्ड नं. 5 • पारख बालिका स्कूल के पिछे, नर्सरी, वार्ड नं. 11 • शारदा स्कूल के सामने वार्ड नं. 11 • पारख बालिका स्कूल के सामने वार्ड नं. 11 • लोहिया कालेज खेल मैदान वार्ड नं. 13 • ताजूशाह का तकिया वार्ड नं. 18 • लोको शेड के पास वार्ड नं. 21 • स्कूल नं. 7 के पास वार्ड नं. 21 • गांधी नगर, वार्ड नं. 22 • कब्रिस्तान के पास वार्ड नं 23–27 के मध्य • वार्ड नं. 39 की समस्त गलियाँ • कलेक्ट्रेट के सामने, जयपुर रोड
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• यतिजी का बगिचा, वार्ड नं. 2 • स्कूल नं. 14, पंखा रोड़ वार्ड नं. 3 • मुस्लिम मुसाफिरखाना, वार्ड नं. 4 • बागला जुनियर स्कूल वार्ड नं. 5 • पारख बालिका विद्यालय, वार्ड नं. 11 • शारदा स्कूल, वार्ड नं. 11 • पटवार घर, वार्ड नं. 12 • शिक्षक भवन, वार्ड नं. 12 • केन्द्रीय विद्यालय, वार्ड नं. 12 • विश्वकर्मा भवन, वार्ड नं. 13 • ओसवाल पंचायत भवन, वार्ड नं. 14 • बैदों की धर्मशाला, वार्ड नं. 14

		• सुराणा स्मृति भवन, वार्ड नं. 15 • जैन केशर बालिका विद्यालय, वार्ड नं. 16 • लोहिया कालेज, वार्ड नं. 20 • स्कूल नं. 7, वार्ड नं. 21 • मनोरंजन क्लब, वार्ड नं. 24 • श्री दिगम्बर जैन गेस्ट हाऊस, वार्ड नं. 24 • मिश्र स्मृति भवन, वार्ड नं. 24 • बालिका महाविद्यालय, वार्ड नं. 26 • मॉन्टेसरी बाल भवन, वार्ड नं. 26 • दादू भवन, वार्ड नं. 26 • सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला, वार्ड नं. 29 • बजाज भवन, वार्ड नं. 29 • धानुका धर्मशाला, वार्ड नं. 30 • अग्रसेन भवन, वार्ड नं. 31 • कुदाल भवन, वार्ड नं. 37 • सोती भवन, वार्ड नं. 38 • राजकीय बालिका उमावि, वार्ड नं. 39 • राजकीय गोयनका सी.सै. स्कूल, वार्ड नं. 40
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधनों में निम्न मशीने, उपकरण एवं सामग्री हो सकते हैं 1. डीजल पम्प सेट – नग 3 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 8 3. पाईप लाईन – पर्याप्त मात्रा में 4. विद्युत पम्प – नग 6 5. कीटनाशक 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि 7. पोर्टेबल पम्प सेट 8. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – जीप एक 9. जेसीबी मशीन – एक
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ–साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान

		को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, चूरू में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01562–250318 है।

नगरपालिका, रतननगर

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	पम्प द्वारा शहर के बाहरी क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• वार्ड संख्या 4, जालानों की धर्मशाला के पास • वार्ड संख्या 6, हीरावतों की हवेलियों के पास • वार्ड संख्या 9, मणियारों के घरों के पास
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• राज. बृजलाल बा.मा. विधालय भवन • गांधी बाल विधा मंदिर • राज. उ.प्रा. विधालय भवन
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधनों में निम्न मशीने, उपकरण एवं सामग्री हो सकते हैं 1. डीजल पम्प सेट – नग 2 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 2 3. पाईप लाईन – 2 किमी 4. विद्युत पम्प – नग 4 5. कीटनाशक – फिनाइल, डीडीटी, ब्लिचिंग पाउडर 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि 7. पोर्टेबल पम्प सेट – नग एक 8. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – जीप दो 9. जेसीबी मशीन – नहीं
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ–साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय

		स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, रतननगर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01562–281224 है।

नगरपालिका, तारानगर

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	सेम्प वेल से पम्पींग द्वारा दो स्थलों से जल निकासी की जाती है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• रेस्ट हाऊ के आस–पास का समस्त क्षेत्र, वार्ड संख्या 14, 15 व 17 • वार्ड संख्या 7 में मंत्रियों के कुण से अशोक योगी के घर तक • वार्ड संख्या 24 में सोहनलाल सैनी के घर के आस–पास तथा शनि मंदिर के पास • वार्ड नंबर 2 में बाल मंदिर के पास
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• रा संस्कृत विधालय वार्ड नं. 7 • रा.सी.स. विधालय के दौनों भाग वार्ड संख्या 14, 15 व 16 • सुरजाराम की बगीची, वार्ड नं. 24 • रा. नवीन वि. वार्ड संख्या 2
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधनों में निम्न मशीने, उपकरण एवं सामग्री हो सकते हैं 1. डीजल पम्प सेट – नग 3 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 4 3. पाईप लाईन – 400 मीटर 4. विद्युत पम्प – नग 2 5. कीटनाशक 20 कटे 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ–साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक

	समझेगें।	निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, चूरू में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01561–240245 है।

नगरपालिका, सरदारशहर

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	चिन्हित वार्डों में गन्दे पानी की निकासी हेतु पम्प हाऊस
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• राजवाले कुएं के पास, नेताजी रोड़ • सुराणा व लूणियों का मौहल्ला, नालों की गली, वार्ड नं. 10 • मुख्य बाजार होते हुए मोचीवाड़ा • गिनाणी बास, वार्ड नं. 5 • नालों की गली, बोडिया कुआ, वार्ड नं 31 व 32 • सब्जी मंडी, उतरादा बाजार • आथूना बाजार, घण्टाघर से मुणती कुई, मोचीवाड़ा • गौशाला के आगे व बालाजी के मंदिर का मौहल्ला, वार्ड नं. 34 • इलाहीबक्स खां के कुएं के पास, वार्ड नं 26 • मीणों के कुए के पास, वार्ड नं. 14, 18 एवं 21 • टांटियां मंदिर के पास, भाट्टा बस्ती, वार्ड नं 17 • बापा सेवा सदन के पास वार्ड नं .14 • अर्जुन कल्ब के दक्षिण का मौहल्ला, पांचों सिंह राजपूत का मकान काफी नीचा होने के कारण • रैगर बस्ती वार्ड नं 36 • बोडिया कुएं के पास व आस–पास की गलियां

		• वार्ड नं. 23, रोडवेज बस स्टैन्ड के उतर की गली
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• सुगन भवन, सोनी धर्मशाला, मोती चौक • चौधरियों की धर्मशाला • किशन छाजेड़ धर्मशाला, सरकारी धर्मशाला अस्पताल के पास • बड़ा पास, पंचायती भवन • सवाई बास, पंचायती भवन • मून्दड़ा धर्मशाला • प्रजापती भवन • दूगड़ भवन • पूर्वा गेस्ट हाऊस • हिसारिया धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन • मनोहरी देवी सोनी धर्मशाला • अग्रसेन भवन • चौधरी गेस्ट हाऊस • लुणिया गेस्ट हाऊस • बुच्चा गेस्ट हाऊस • पींचा धर्मशाला, मीणा कुआ • महेश्वरी गेस्ट हाऊस • सैनी धर्मशाला, सुबेदार कुआ • मधुभवन, वार्ड नं 16 • छींपा धर्मशाला • विश्वकर्मा अतिथि भवन • पालिका सामुदायिक भवन, वार्ड 10 • भाट समाज धर्मशाला • टांटिया धर्मशाला • सैन समाज भवन, मोती चौक • रानी सती धर्मशाला • झालरिया धर्मशाला • बिसायती धर्मशाला • कासम गेस्ट हाऊस
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधनों में निम्न मशीने, उपकरण एवं सामग्री हो सकते हैं 1. डीजल पम्प सेट – नग 4 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 5

		3. पाईप लाईन – 1000 फुट 4. विद्युत पम्प – नग 1 5. कीटनाशक – नहीं 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि 7. पोर्टेबल पम्प सेट – नहीं 8. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – जीप एक 9. जेसीबी मशीन – नहीं
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ–साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, सरदारशहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01564–220030 व 01564–220681 है।
8	स्वयं सेवी संस्थायें	रोटरी कल्ब, लायन्स कल्ब, सिटी जेसीस, जूनिया जेसीस, महावीर इन्टरनेशनल, युनाईटेड कल्ब, मोती चौक सेवा मण्डल, व्यापार मण्डल, सरदारशहर नागरिक परिषद, दिल्ली, कोलकाता व मुम्बई

नगरपालिका, राजगढ़

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	दैनिक पानी की निकासी व्यवस्था हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार निम्न व्यवस्थायें की गई है – ● कच्चे जोहड़ों में नाली नालों से पानी इक्ट्ठा होता है, जहाँ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विद्युत पम्प 30 एच.पी. संचालित है जिसके द्वारा पानी शहर से बाहर निकाला जाता है। ● वार्ड नं. 27 में शहर का पानी पानी इक्ट्ठा होता है जहाँ जन स्वास्थ्य

		अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हिसार रोड़ के पास विद्युत मशीन 30 एच.पी. से डाला जाता है। ● हिसार रोड़ पर पालिका का पम्प हाऊस बना हुआ है जिस पर 20 एच.पी. की विद्युत मोटर है जिससे नियमित पानी निकासी की जाती है। ● वार्ड नं. 13 एवं 18 में पालिका द्वारा डीजल पम्प लगा रखा है जो नियमित रूप से संचालित होता है। ● दाऊद कुई पर पालिका का स्थाई डीजल पम्प सैट है जिससे नियमित पानी का निकास किया जाता है। ● शहर के शेष वार्डों का पानी नाली नालों से शहर के बाहर डाला जाता है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	● वार्ड नं. 13 एवं 18 में निर्मित डिग्गी ● मोहल्ला नरड़ियान, शमशान भूमि के पिछे जहाँ पर नरड़ियान मोहल्ले का पानी इक्ट्ठा होता है। ● दाऊद व्योपारी की कुई वार्ड नं 21 ● कच्चा जोहड़ एवं कच्ची डिग्गी वार्ड नं. 14 ● कच्चाी डिग्गी, हिसार रोड़ के पास वार्ड नं. 28 ● बहल रोड़ के पास पिलानी रोड़ रेल्वे क्रासिंग से कच्चे जोहड़े में आने वाला पानी ● मोहता धर्मशाला से आने वाला पानी, वार्ड नं 9 ● हिसार–भादरा रेल्वे लाईन के पूर्व एवं पश्चिम में ● कुआं फतेहपुरिया, वार्ड नं. 25 व 30 ● वार्ड नं. 30 में गोपाल अध्यापक के धर के पास ● कोठारी बिल्डिंग के पास पुराने नाले के पानी की निकासी
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	● ओसवाल पंचायत भवन, वार्ड संख्या 1

		• सरावगी बगीची, वार्ड संख्या 1 • नायकान धर्मशाला, वार्ड संख्या 2 • सोनी अतिथि भवन, वार्ड संख्या 2 • इस्लामिया मदरसा, वार्ड संख्या 5 • ब्राम्हण पंचायती, वार्ड संख्या 6 • ओसवाल पंचायत भवन, वार्ड संख्या 6 • अग्रसेन भवन, वार्ड संख्या 7 • गुलाब भवन, वार्ड संख्या 9 • व्यापारियान धर्मशाला, वार्ड संख्या 9 • पी.ड्ब्ल्यू.डी. विश्रामालय, वार्ड संख्या 14 • फतेहपुरिया धर्मशाला, वार्ड संख्या 14 • टीकमाणी धर्मशाला, वार्ड संख्या 14 • पोद्दार धर्मशाला, वार्ड संख्या 14 • रेल्वे क्लब, वार्ड संख्या 11 • घेवकान बगीची, वार्ड संख्या 7 • व्यापारियान पंचायत, वार्ड संख्या 34 • इस्लामिया मदरसा, वार्ड संख्या 21 • कुम्हारान धर्मशाला, वार्ड संख्या 20 • पंचायत खुशीपुरा, वार्ड संख्या 27 • महेश्वरी धर्मशाला, वार्ड संख्या 25 • धानकान धर्मशाला, वार्ड संख्या 29 • मितल भवन, वार्ड संख्या 25 • चमारान पंचायत, वार्ड संख्या 30 • रेगरान पंचायत भवन, वार्ड संख्या 28
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधनों में निम्न मशीने, उपकरण एवं सामग्री हो सकते हैं 1. डीजल पम्प सेट – नग 7 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 5 3. पाईप लाईन – 2500 फुट 4. विद्युत पम्प – नग 1 5. कीटनाशक – नहीं 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि 7. पोर्टेबल पम्प सेट – नहीं

		8. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – पांच ट्रैक्टर चालू हालत में। 9. जेसीबी मशीन – नहीं
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ–साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, राजगढ़ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01559–222039 है।

नगरपालिका, रतनगढ

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	1. सराफ कुआ के पास, वार्ड नं. 18 व 21 के मध्य 2. रेल्वे पुलिया नं. 1 (स्थाई व्यवस्था सम्पवेल)
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• परमाणा ताल, चूरू रोड़ • हरिराम बाबा के मंदिर के पास, वार्ड नं. 28 व 29 के मध्य • रेल्वे फाटक के पास • प्रकाश पाठशाला के पास • सेठ बंशीधर जालान उच्च माध्यमिक विद्यालय
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• सेठ बिशनदयाल ट्रस्ट धर्मशाला, वार्ड नं. 22 • प्रजापति भवन वार्ड नं. 17 व 20 • जड़ियादेवी भवन, वार्ड नं. 20 • थर्ड धर्मशाला, वार्ड नं. 6 • रिणीवाला धर्मशाला वार्ड नं. 13 • खेमका धर्मशाला, वार्ड नं. 13 • सामुदायिक केन्द्र, वार्ड नं. 2, 7 , 17, 20, 21, 27 • शासकीय व अर्द्ध शासकीय स्कूल भवन

5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	1. ट्रेक्टर मय ट्रोली – नग तीन 2. डीजल पम्प – नग तीन 3. पानी निकासी हेतु 1200 फुट नये पाईप व 400 फुट पुराने पाईप तैयार हालत में। 4. लगभग 2000 खाली सीमेन्ट बैगस् में मिट्टी भराई कटाव व पानी फैलाव को रोकने की व्यवस्था।
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, रतनगढ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01567–222095 है।

नगरपालिका, राजलदेसर

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	गिनाणी में प्रतिदिन पानी की निकासी इक्ट्ठा होता है। एकत्रित पानी को पम्प द्वारा बाहर निकाला जाता है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल के पास का क्षेत्र • मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर के पास का क्षेत्र, वार्ड नं. 1 व 4 • मेघवाल बस्ती, वार्ड नं. 11 • हनुमानमल पारीक के मकान के पास, वार्ड नं. 19
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• टांटिया गेस्ट हाऊस • युनियन क्लब अतिथि भवन • महाप्रज्ञ हाल
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	1. डीजल पम्प सेट – नग 1 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नहीं 3. पाईप लाईन – नहीं 4. विद्युत पम्प – पीएचईडी के पास 5. कीटनाशक – नहीं 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि

		7. पोर्टेबल पम्प सेट – नहीं 8. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – ट्रेक्टर एक 9. जेसीबी मशीन – नहीं
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका परिसर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01567–232504 है।

नगरपालिका, सुजानगढ

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	विद्युत पम्प व डीजल इंजन से पानी की निकासी की जाती है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• चापटिया तलाई, • दूलिया तलाई, • गैनाणी, • नाथो तालाब एरिया • नलिया बास, • बाई पास मोहल्ला, • नई हरिजन बस्ती, • हरिजन बस्ती, • गांधी चौक व सब्जी मण्ड़ी, • 10 नया बास, • 11. माल गोदाम के पास।
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	राजकीय विद्यालय एवं धर्म ाालाएं
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	14 एचपी नये – 2 15 एचपी पुराने – 15 10 एचपी – 01 7.5 एचपी – 1 5 एचपी – 1 बाढ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण जैसे गेती, फावड़ा, सब्बल, रस्सी, सीमेन्ट के खाली कट्टे, टार्च आदि उपलब्ध है। पालिका के पास एक अग्नि शमन वाहन उपलब्ध है।

6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सहायता विभाग।
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, सुजानगढ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01568–242099 है।

नगरपालिका, छापर

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	कस्बे में नाले/नालियाँ बनी हुई है। इक्ट्ठे होने वाले पानी की निकासी के लिए नगरपालिका के पास 2 पम्प सैट उपलब्ध है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• मेघवाल बस्ती रतनगढ रोड़ के पास वार्ड नं. 19 एवं 20 • पाबूजी मंदिर के पास वार्ड नं. 2
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	कस्बे में 6–7 सार्वजनिक धर्मशालायें, गेस्ट हाऊस आदि है, जिनमें व्यवस्था की जा सकती है।
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधनों में निम्न मशीने, उपकरण एवं सामग्री हो सकते हैं 1. डीजल पम्प सेट – नग 2 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 2 3. पाईप लाईन – 4. विद्युत पम्प – नहीं 5. कीटनाशक – नहीं 6. बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि उपलब्ध है। 7. पोर्टेबल पम्प सेट – नहीं 8. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – दो ट्रेक्टर मय ट्रोली सही स्थिति में हैं। 9. जेसीबी मशीन – नहीं
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम 2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, छापर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01568–242099 है।

नगरपालिका, बीदासर

1.	आपदा का नाम	**बाढ़ एवं अतिवृष्टि**
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	नाले / नालियों के माध्यम से
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• दड़ीबा पत्थर खान • हरिजन बस्ती वार्ड नं. 12, 13 एवं 17 • इलाही चौक वार्ड नं 9
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	1. टांटिया धर्मशाला 2. हाईस्कूल 3. दड़ीबा सार्वजनिक निर्माण विभाग रेस्ट हाऊस 4. दड़ीबा प्रजापति भवन 5 गर्ल्स स्कूल
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध संसाधन 1. डीजल पम्प सेट – नग 2 2. ट्रेक्टर माउन्डेड ट्रोली – नग 3 3. पाईप लाईन – पीवीसी नग 3 4 बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण में काम आने वाले उपकरण एवं संख्या यथा सब्बल, फावड़े, गैती, छाजले, रस्सी, टार्च, सीमेन्ट के खाली बैग, परात आदि उपलब्ध है। 5. पोर्टेबल पम्प सेट – नहीं 6. उपलब्ध वाहन एवं स्थिति – वाहन 7. जेसीबी मशीन – नहीं
6.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन–किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
7.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, छापर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01560–262028 है।

जिले में अन्य आपदायें यथा (भूकम्प, भू–स्खलन, तुफान/चक्रवात, हिमस्खलन,) इत्यादि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।

अध्याय :– 14 जिला स्तरीय विभागीय महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर

1.	श्री ललित कुमार गुप्ता	जिला कलक्टर	01562–250806 फैक्स 250082	250805	9413332600
2.	श्री राजपाल सिंह	अति0 जिला कलक्टर	**01562–250918**	250536	9649383003
3.	,, महेन्द्र कुमार लोढ़ा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्	01562–250594	250911	9414412120
4.	,, रामरतन सौंकरिया	अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.	01562–250432	250914	9828550661
5.	,,राकेश कुमार	उपखण्ड अधिकारी	01562–250425	251337 9530316179	9660173799 9468632082
6.	मीनू वर्मा	उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर	01564–222786	9530316256	7597378966
7.	श्री सुभाष भड़िया	उपखण्ड अधिकारी राजगढ़	01559–222032	01559–222023	9887999204 9413432456
8.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़	01567–222023	01567– 222032	9785307172 7014906821 9413674604
9.	श्री रामधन मीना	उपखण्ड अधिकारी तारानगर	01561–241222	फैक्स 241223 240338	94608–42478 9530316220
10.	श्री अजय आर्य	उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़	01568–225550	फैक्स 225550	9414088444 7073634121
11.	,, संजू पारीक	उपखण्ड अधिकारी बीदासर	01560–263482	01560 262903	9414743933
12.	,, नवीन भगवती	तहसीलदार चूरू	01562–250930	9530316180	9636254763
13.	,, प्रदीप चाहर	तहसीलदार राजगढ़	01559 222306	–	9414403178
14.	श्री जय कौशिक	तहसीलदार सरदारशहर	01564–220094	9530316257	99828–85885 9461185885
15.	श्री दिनेश शर्मा	तहसीलदार कार्यवाक तारानगर	01561–240278	9530316221	9672380343
16.	श्री शंकर सिंह	तहसीलदार रतनगढ़	01567–222094	9530316390	9214866589
17.	श्री सुशील कुमार सैनी	तहसीलदार सुजानगढ	01568–220094	–	95303–16324 82394–44433
18.	श्री औम प्रकाश वर्मा	तहसीलदार बीदासर	01560–263501	262903 फैक्स	9530316325 9460166117
19.	श्री नारायणराम	नायब तहसीलदार दूधवाखारा	01562–250930	9602550770	9530316184
20.	श्री मोहम्मद जमील	उप पंजीयक, चूरू		–	
21.	रिक्त	नायब तहसीलदार राजगढ़	01559–222306	–	
22.	रिक्त	नायब तहसीलदार भानीपुरा		9530316258	
23.	बीरबाल नाथ सिद्व	नायब तहसीलदार सरदारशहर	01564–220094	–	9461877631
24.	मुकन्द सिंह शेखावत	नायब तहसीलदार रतनगढ	01567–222094	9530316395	7737393122
25.	श्री भवानी शंकर	नायब तहसीलदार राजलदेसर	95303–16391	–	9530316414
26.	,, ओम प्रकाश	नायब तहसीलदार सुजानगढ़	01568–220094	–	9783988880
27.	दिनेश कुमार शर्मा	नायब तहसीलदार तारानगर	01561–240278	–	9672380343
28.	श्री धीरज झाझड़िया	नायब तहसीलदार सिद्वमुख			9571074221
29.	जसवन्त सिंह	नायब तहसीलदार सालासर	शंकर पटवारी	9530316357	9460790794
30.	,, मोहम्मद जमील	तहसीलदार (भू.अ.)चूरू	01562–250918	–	9413267267
31.	,, दीनबन्धु सिरोलिया	विकास अधिकारी पं.स., चूरू	01562–250317	530303595	9982020663
32.	,, नारायण सुथार	विकास अधिकारी पं.स., सरदारशहर	01564 220050	9530453045	7610059177
33.	,, प्रभजोत सिंह गिल भीमसिंह गोदारा (चार्ज)	विकास अधिकारी पं.स.,राजगढ़	01559–222038	9530303796	9587777948 9982407675
34.	,, मनोज कुमार	विकास अधिकारी पं.सं. सुजानगढ़	01568–220019	9530303792	7597970036

35.	,, श्रीमती दूर्गा देवी ढाका	विकास अधिकारी पं.स. तारानगर	01561–240236	9530303664	9001784791
36.	,, श्रीमती कांता देवी जांगीड़	विकास अधिकारी पं.स. रतनगढ़	01567–222034	9530303632	8946855360
37.	,, विनोद कुमार	विकास अधिकारी पं.स.बीदासर	01560–263019	9530303743	8140193678
38.	श्री भागीरथ शर्मा	कोषाधिकारी, चूरू सरदारशहर	250230	254242	9414085018
39.	,, लक्ष्मणसिंह चौधरी	डी.आई.ओ., एनआईसी चूरू	01562–252805	9530316177	9983423787
40.	श्री नवीन कुमार	उपनिदेशक, ई–मित्र चूरू	01562–252783		9680221379
41.	श्री नरेश छीपी	प्रोगामर अटल सेवा केन्द्र चूरू			9649447474
42.	प्रमोद जांगीड़	RO नगरपरिषद			8432020849
43.	,, गौरव चौधरी (चार्ज)	उप निदेशक क्षे.उ.नि.,आई.सी.डी.एस. महिला बाल विकास सीडीपीओ रतनगढ/सुजानगढ ग्रामीण	01562–250920	–	9461109505
44.	श्री देवानन्द	कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, चूरू			8952021643
45.	सीमा सोनगरा	ग्रमीण, सीडीपीओ, चूरू शहरी			9413175526

पुलिस विभाग

46.	श्री राहुल बारहठ	जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू	01562–250804	250803	9414390095
47.	श्री केशरसिंह	अति. पुलिस अधीक्षक, चूरू	250946	250406	9829212681
48.	श्री लीलाधर	अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी	250284		9413362500
49.	श्री मंगल चंद राठी	उप पुलिस अधीक्षक, जेल जेल रतनगढ़	250292 01567–222219		9460178238
50.	श्री राजेन्द्र सिहं राजवी	उप पुलिस अधीक्षक, आबकारी	251570		9414000621
51.	श्री राजेन्द्र सिंह	उप पुलिस अधीक्षक, टागार्ड	254470		7597743203
52.	श्री बुद्धपुरी	वृताधिकारी एससी/एसटी	251800		
53.	श्री सीताराम माहिच	वृताधिकारी, चूरू	253456		8764873571 9414071771
54.	श्री अनिल कुमार	थानाधिकारी कोतवाली, चूरू	250414		9414365524 9649082436
55.	जयवीर जी	डीएसपी			9530419712
56.	श्री अवतार सिंह	थानाधिकारी सदर, चूरू	256100 9414019222		95304 19581 94146 75734
57.	श्री राजेन्द्र गोदारा	थानाधिकारी रतननगर	281225		9829988598
58.	श्री देवकरण उ.नि. हैड कॉस्टेबल (जोगेन्द्र)	थानाधिकारी दूधवाखारा (95304–19215)	286217		9460125760 9530419213
59.	श्री विक्रम सिंह उ.नि.	थानाधिकारी महिला थाना	257827		9530419401 9828228265.
60.	श्री पवन कुमार मीणा	वृताधिकारी सरदारशहर	01564–222100		9414213947
61.	श्री राजीव राहड़ पु.नि.	थानाधिकारी सरदारशहर	220098		9460213827
62.	श्री नरेश कुमार उ.नि.	थानाधिकारी भालेरी	249290		9414084777
63.	श्री सुभाष चन्द्र उ.नि.	थानाधिकारी भानीपुरा	214376		9414535851
64.	श्री	अ. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़	01569–		
65.	श्री रामनिवास गुर्जर	वृताधिकारी राजगढ़	01559–223940		9414341308
66.	श्री भागलाराम पु.नि.	थानाधिकारी राजगढ	222035		9414212230
67.	श्री रामचन्द्र जी कस्वा	थानाधिकारी तारानगर	240229		9950181999
68.	श्री बलराज सिंहमान उ.नि.	थानाधिकारी हमीरवास	264221		9828286100
69.	श्री गुरभुपेन्द्र उ.नि.	थानाधिकारी सिद्धमुख	229034		9414089057

70.	श्री मिलन कुमार जोहिया	वृताधिकारी रतनगढ़	01567–222045		9414077444
71.	श्री कुलदीप वालिया पु.नि.	थानाधिकारी रतनगढ	222040		9413360909
72.	श्री सुभाष शर्मा	थानाधिकारी राजलदेसर	01567–232518		9530419553
73.	श्री महेन्द्र कुमार	अ.पु.धीक्षक, सुजानगढ़	01568–220102		9414279860
74.	श्री हेमाराम चौधरी	वृताधिकारी सुजानगढ	01568– 221066		9414444811
75.	श्री जमन लाल पु.नि.	थानाधिकारी सुजानगढ	220066 250946		9414502527
76.	श्री कमल कुमार उ.नि.	थानाधिकारी सालासर	252019		9829210029
77.	श्री राजेश सिहाग उ.नि.	थानाधिकारी साण्डवा	272232		9413367067
78.	श्री विष्णुदत्त उ.नि.	थानाधिकारी छापर	242034		9413361500
79.	श्री किशनलाल उ.नि.	थानाधिकारी बीदासर	262032		9460303090
80.	श्री दिलीप खत्री उ.नि.	पुलिस कंट्रोल रूम चूरू	01562–252023		9928749284
81.	श्री शुभ राम सउनि	चौकी धर्मस्तूप, चूरू	250416		9413192526
82.	श्री	अस्पताल चौकी चूरू	250964		
83.	श्री महेन्द्र सिंह पु.नि.	अपराध सहायक	01562–250946		9460893077
84.	श्री अवतार सिंह उ.नि.	रीडर	01562–251800		9414180439
85.	श्री मान सिंह	प्रभारी जिला विशेष शाखा	01562–250946		9530419704
86.	श्री प्रवीण कुमार पु.नि.	प्रभारी वायरलैस चूरू	01562–257737		9414605205
87.	श्री हरीराम	संचित निरीक्षक	01562–250415		9414339752
88.	श्री प्यारेलाल स.उ.नि.	एल.ओ.पु.ला. चूरू	01562–250415		9530419602
89.	श्री हरगुरूनारायण	प्रभारी ट्रेफिक चूरू	01562–252023		9414360423
90.	श्री सवाईं सिंह उ.नि.	एम.टी.ओ. चूरू	01562–250415		9928870560
91.	श्री जयपाल सिंह	कस्बा चौकी चूरू			9461111520
92.	श्री ओमप्रकाश स.उ.नि.	चौकी साहवा	01561–284488		9414985986
93.	श्री	चौकी गोठया	01559–276857		
94.	श्री	चौकी रामपुरा	01559–251034		

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

95.	डॉ. अजय चौधरी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़	222038 FAX 224351	222041	9414053000 8003599499
96.	अफजल जी				9460927080
97.	श्री तेजकुमार	IA, CMHO			9024035188
98.	श्री हनुमान जी				7073458145
99.	यूनूस जी	programmer, ratangarh			7073458119
100.	डॉ. महेश तोषाण	bcmo sujangarh	01567	222038	9460564991
101.	डॉ. मनोज शर्मा	Addl. CM&HO(F.W.) M-432564550	01562	250941	7073458103 9829399964 8003599496
102.	डॉ. गौरी जी	PMOCHURU@YAHOO.IN PMO-CHU-RJ@NIC.IN	250333	250819	9414293754
103.		PMO Sardarshahar			7073458161
104.	डॉ. जयनारायण खत्री	P.M.O., DBH, Churu ofj0 fo'ks"kK] 'kY; fpfdRlk] Mh-ch-,p-]pw:	250260		9414894139
105.	डॉ. अशोक तिवाड़ी	मेडिकल ऑफिसर,डी.बी.एच., चूरू			94142–18794
106.	डॉ. राजेन्द्र गौड	पी.एम.ओ. रतनगढ़ (01567)	222330	222329	9413660894

107.	डॉ. एन के प्रधान्	पी.एम.ओ.,सुजानगढ (01568)	220009		9414400350
108.	डॉ. राधेश्याम मोर्य	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा. अधि.	251726	251726	9950594242
109.	डॉ. अनवर अली	कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ			9414285404
110.	डॉ अनुज	पी.एम.ओ. चूरू			98877–78524
111.	डॉ. प्रमोद बाजोरिया	*वरिष्ठ चिकित्सक (फीजिशियन)*	250333	251281	9414084281
112.	डॉ. सुनील जांदू	क्च्ए तैक्च्ए बिनतन	01562	250792	9413065000
113.	डॉ. राजेन्द्रसिंह शेखावत	ठब्ड–भ्ब् बिनतन	251160		9828608291
114.	डॉ. प्रतीक सागर	ठब्ड–भ्ब् त्रहंती	223387		9414676499
115.	डॉ. महेश वर्मा	ठब्ड–भ्ब्ै नरंदहंती	222755		9414397353
116.	डॉ. सुनील मीणा		222563		9672226101 7073458123
117.	डॉ. देवीलाल जोशी	ठब्ड–भ्ब् ज्तंदंहंत	241940		9950835508
118.	डॉ. देवकरण गुरावा	ठब्ड–भ्ब् त्जंदहंती	226618		8003599458

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

119.	श्री सुभाष विश्नोई	अधीक्षण अभियन्ता,जोविविनिलि,चूरू	250372 250058	252025 9413359551	9413359747
120.	,, भंवरलाल भाटी	अधिशाषी अभियंता (विजिलेंस) चूरू			9413359754
121.	श्री शैयद इनामुदीन जी	अधिशाषी अभियन्ता, चूरू	251417	250250	9413359750
122.	श्री	अधिशाषी अभियन्ता, सुजानगढ	222601	222602	
123.	,,	अधिशाषी अभियन्ता, रतनगढ़	222058	222044	9413359753
124.	श्री वी.के सेठी	अधिशाषी अभियन्ता, राजगढ	225070		9414021493
125.	,, रिशीकेस मीणा	सहायक अभियन्ता (शहरी) 256628	250412 250418	250417 250427	9413359756
126.	,, सीताराम जांगीड़	कनिष्ठ अभियन्ता (शहरी)	250412	250427	9828513368
127.	,, महेन्द्र मीणा	सहायक अभियन्ता (ग्रामीण)	253541		9414058026
128.	,, शिव भगवान				9950387177
129.	,,		220028		9413339949
130.	,, सांवरमल गुर्जर	आर. के मीणा राजलदेसर		9413359764	9413359761
131.	,, मोहन लाल मांझू	लेखा अधिकारी,चूरू			9413359771
132.	,, सीताराम मेघवाल	सहायक अभियन्ता सुजानगढ		9413359752	9413359765 9413359752
133.	एम.के.ओला	सहायक अभियन्ता, बीदासर			9413359767
134.	आर.के.खण्डेलवाल	सहायक अभियन्ता, सालासर			9413359770
135.	बी0 एस0 शेखू	सहायक अभियन्ता,सादुलपुर ग्रामीण			9413359779

सार्वजनिक– निर्माण– विभाग

136.	,, रामहेत जी मीणा	अधीक्षण अभियन्ता, चूरू	252402 252058	253300	9413023690
137.	,, आर . के . शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, चूरू	250949	250381	9414254713
138.	राठौड़ जी	टीए	220473	–	9413361651
139.	,, आर.के.योगी	अधिशाषी अभियन्ता, सरदारशहर			9602191551
140.	,, बी एम ढाका	अधिशाषी अभियन्ता, रतनगढ़	222105	222118	9414548292
141.	,, नन्द्रराम धायल	सहायक अभियन्ता, रतनगढ	222736	9460226659	9413514175
142.	,, महेन्द्र सिंह चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता, राजगढ़	222924	224001	9414084001
143.	,, प्रहलाद चंद मीणा	अधिशाषी अभियन्ता, आर.यू.आई.डी.पी., चूरू			9001299992
144.	,, वी के शर्मा	अधिशाषी अभि0, एन.एच.–65, चूरू	254063	8875022888	9782590547
145.	डीएल सोनी	सहायक अभियन्ता, (भवन), चूरू		–	9413514175
146.	,, कमल खत्री	सहायक अभियंता, चूरू			9468833003
147.	,, विजय कुमार कस्वां	कनिष्ठ अभियन्ता, (भवन), चूरू			87641–63910
148.	,, सुरेश कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता, (सेवानिवृत)चूरू			9414085101
149.	,, ओ.पी.गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)–बीकानेर	2226514	2226515	9784006266
150.	,, गोपाल कृष्ण नायर	सहायक अभियन्ता (विद्युत)–बीकानेर	–	–	9414146664
151.	,, पी.एल.माथुर	कनिष्ट अभियन्ता (विद्युत)– बीकानेर			9414604716
152.	,, विमल कुमार	सहायक अभियन्ता, बीदासर			9784349609
153.	,, बाबूलाल ,, पूर्णाराम	सहायक अभियन्ता, सुजानगढ़ सहायक अभियन्ता			9828538920 9610000195
154.		सहायक अभियंता, तारानगर			9413148356
155.	आरिफ खान, सीकर	सह परियोजना निदेशक एनएचएआई सीकर NHAI-65	piureengus @nhai.org		9460252947
156.	संगीता शर्मा, जयपुर	सह परियोजना निदेशक एनएचएआई नागौर जायल			8696666778
157.		अधीक्षण अभियंता, सीकर	0141.2292049	01572–249090	

शिक्षा विभाग

158.	श्रीमती गायत्री प्रजापत	उप निदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा, चूरू	250439	250916	9414490110
159.	श्रीमती सरिता आत्रेय	सहायक निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा	250439		9460846945
160.	श्री महावीर सिंह पूनियां	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, चूरू	250319		9772259623 9414665623
161.	,, महेन्द सिंह पडिहार	अति. जिला शिक्षा अधिकारी,(माध्य) चूरू	250319		9950126443
162.	श्री तेजपाल उपाध्याय	जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राथमिक) चूरू	251303		9950082855
163.	विजयपाल जी धुआं	एमडीएम प्रभारी			9414350945
164.	,, योगेश जी	अति. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राथमिक) चूरू	251303	253584	9414085483
165.	,,श्री भंवरू खां				9413268556
166.	,, सांवरमल गहनोलिया	शैक्षिक प्रभारी माध्यमिक शिक्षा			94616 04919
167.	,,श्री बलवान सिंह	संभागीय शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा।	252899		9414837827
168.	,, कैलाश चतुर्वेदी	उप निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, चूरू	252899		9414983543
169.	,, गायत्री प्रजापत	उप निदेशक, (प्रारम्भिक) शिक्षा	250915		
170.	,, श्री रामकरण जी रूईल	जिला साक्षरता अधिकारी चूरू फुलसिंह जी तंवर सर्वशिक्षा अभियान	253826 9414850617		94601 26332 9460258121
171.	,, एम.डी. गौरा	प्राचार्य, लोहिया महाविद्यालय,चूरू	250362	254693	94148–94643
172.	,,	प्रींसीपल, केन्द्रीय विद्यालय, चूरू	250236		9413057732
173.	,, श्रीमती आशा कोठारी	प्राचार्य, बालिका महाविद्यालय,चूरू	250305		9530106900
174.	,, श्रीमती सुचिता गुप्ता	प्राचार्य, नवोदय विद्यालय, सरदारशहर	220010	224535	9419412990
175.	,,	प्राचार्य, डाईट, चूरू	250009		

176.	,,के.के.सुथार	प्राचार्य, पोलीटेक्निक कॉलेज	257794		9413278704
177.	श्री यादव	अधीक्षक, आई.टी.आई.,चूरू	253280		9413267655
178.	श्री ओम फगेड़िया	सहायक निदेशक (माध्यमिक)	250439		9414293587
179.	श्री अर्जुन सिंह जी	(प्राथमिक शिक्षा) चूरू			9414527111
180.	कमल शर्मा	टाउन हॉल			
181.	किशनलाल गहनोलिया	बागला स्कूल	250454		9414527346

न्याय विभाग

182.	**श्री भगवान शारदा**	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू	250910	250807	8003395841
183.	**,, हजारीमल प्रजापत**	निजी सहायक,चूरू	250910		9252578191
184.	**श्री रमेश कुमार शर्मा**	परिवार न्यायालय, चूरू	250587	250587	9414278373
185.	**श्री कृष्णस्वरूप चलाना**	ए.डी.जे., चूरू	250351	257070	9414365521
186.	**,, नेपालसिंह**	ए.डी.जे., सुजानगढ	222121		9461533266
187.	**,, रिक्त**	ए.डी.जे., रतनगढ	222318	222319	
188.	**,, आलोक सुरोलिया**	ए.डी.जे., राजगढ	223256	223257	9414297820
189.	**,, सुनील कुमार यादव**	सी.जे.एम., चूरू	250468	250801	9414324114
190.	**,, श्री पुरूषोतम सैनी**	ए.सी.जे.एम., रतनगढ	223724	223723	9530375551
191.	**,, अशोक कुमार टाक**	ए.सी.जे.एम., राजगढ	222600	222400	9461001010
192.	**,, श्री श्याम कुमार व्यास**	सी.जे.(जेडी) एवं जे.एम.,चूरू	252799	254699	9251835558
193.	**,, असीम कुलश्रेष्ठ**	जे.एम.राजगढ (ग्रामीण न्यायालय)	225744	225745	9314294178
194.	**,, कु0 मीनाक्षी मीणा**	जे.एम.सरदारशहर	224830	224831	7665555413
195.	**,, विनोद कुमार गुप्ता**	सी.जे.(जेडी) एवं जे.एम, तारानगर	241283	241911	7597776669
196.	**,, सत्यपाल वर्मा**	ए.सी.जे.एम., सुजानगढ	220921	221271	9414501110
197.	**,,**	सी.जे.(जेडी) जे.एम,सुजानगढ	222951	274838	

जलदाय विभाग

198.	श्री मनीष बेनीवाल	अधीक्षण अभियन्ता जलदाय	250223	250250	9928858244
199.	,,	अधीक्षण अभियन्ता, पीएमसी, चूरू	251415	250661	
200.	श्री	अधिशाषी अभियंता, टीए	250343		9414086610
201.	श्री सतीश कुमार कपुर	सहा अधी अभियन्ता, पीएमसी, चूरू			9414400313
202.	,, पीयुष गुप्ता,	अधिशाषी अभि0,खण्ड–6, पीएमसी	252028		9829631664
203.	,, राकेश जैन	अधि.अभि. चूरू–बिसाऊ	252829		9829920033
204.	,,	अधिशाषी अभियन्ता, पीएमसी	251419		
205.	,, श्री संतोष सिंह भाटी	अधिशाषी अभियन्ता, चूरू	250343	250363	9414443577
206.	,, गोविन्द जांगीड़	अधिशाषी अभियन्ता, सरदारशहर	220452	220453	9413594452
207.	,, श्री हजारी राम	अधिशाषी अभियन्ता, तारानगर		01561 240240	94133–78615
208.	,, मोहनलाल कवंल	अधिशाषी अभियन्ता, रतनगढ़	222076	222063	9413075259
209.	सुगन्न चन्द मण्डार	अधिशाषी अभियंता, पीएमसी, रतनगढ़			9413361231
210.	,, जे.आर. नायक	अधिशाषी अभियन्ता, सुजानगढ़	221455	221456	9413141300
211.	,, निसार अहमद	अधिशाषी अभियन्ता, IGNP TRN			9799690032
212.	,, दता जी	सहायक अभियन्ता, पीएमसी	251419		9414502232
213.	,, दशरथ मीणा ,, जी.पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता, (ग्रामीण) सहायक अभियन्ता, (कामा)	01564		9414265992 9414265992
214.	,, शेषराम वर्मा	सहायक अभियन्ता, चूरू (शहरी)	250338	255508	9414676310
215.	,, कैलाश माली	कनिष्ट अभियन्ता– चूरू शहर (वितरण)	250338		9001100921
216.	,, कैलाश गुप्ता ,, राजेश जांगिड़	सहायक अभियन्ता,तारानगर(सिटी) सहायक अभियन्ता, राजगढ़ (सिटी)	–	–	9414486238 9887181073
217.	,, सुगनचन्द मण्डार	सहायक अभियन्ता, (ग्रामीण) रतनगढ़			9413361231
218.	,,मोहन लाल कंवल	सहायक अभियन्ता (शहरी) रतनगढ़			9413075259

219.	,, अनुराग शर्मा ,, प्रहलाद मीणा	सहायक अभियन्ता, पीएमसी, चूरू अधिशाषी अभियन्ता, आरयूआईडीपी		9636104192	99500 74477 9001299992
220.	,,. कृपा शंकर पाठक	वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक, चूरू	250401	252827	9828370733
221.	,, मजहर अली खान	कनिष्ट अभियन्ता– चूरू (शहरी)	250338	–	9571475844
222.	श्री गोपीलाल	अधीक्षण अभियंता, वाटरशेड	254494		9413140578
223.	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	अधीशाषी अभियंता, वाटरशेड			94147 75928

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधि

क्र.सं.	पं.स.	नाम	पदनाम	मोबाईल	कार्यालय
1.	चूरू	श्री हरलाल सहारण	जिला प्रमुख	9414305264	256143 / 250432
2.	चूरू	श्री सुरेन्द्र सिंह	उप प्रमुख	9610807417	250432
3.	चूरू	श्रीमती ज्योति राठौड़	प्रधान	9828502866	250317
4.	चूरू	श्रीमती कैलाश ढ़ाका	उप प्रधान		250317
5.	राजगढ	श्रीमती पुष्पा गोदारा	प्रधान	9929250350	222038
6.	राजगढ़	श्रीमती इन्दू शेखावत	उप प्रधान		222038
7.	तारानगर	श्री जयसिंह	प्रधान	9982392266	240236
8.	तारानगर	श्री हुकमीचन्द	उप प्रधान		240236
9.	रतनगढ	गिरधारीलाल बांगडवा	प्रधान	8432464797	222034
10.	रतनगढ़	श्री रतनलाल	उप प्रधान		222034
11.	सरदारशहर	श्री सत्यनारायण सारण	प्रधान	9414394839	222050
12.	सरदारशहर	सुश्री पूजा पारीक	उप प्रधान		222050
13.	सुजानगढ़	श्री गणेश ढाका	प्रधान	9410001815	222019
14.	सुजानगढ़	श्री दीवानसिंह	उप प्रधान		222019
15.	बीदासर	श्रीमती संतोष मेघवाल	प्रधान	9166099799	
16.	बीदासर	श्री महेन्द्रसिंह लेघा	उप प्रधान		

जिला चूरू की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारियों के टेलीफोन नं. सूची

क्र. स	नाम नगरपालिका	नाम अध्यक्ष	नाम आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी	कार्यालय	फैक्स	मोबाइल
1	नगरपरिषद, चूरू	श्री विजय कुमार शर्मा94140–84108	श्री प्रमोद जांगीड़	250318 250225		8432020849 9772539121
2	नगरपालिका, रतननगर	श्रीमती हीना बानो *8441802397*	श्री सत्यनारायण स्वामी	01562 281224	281224	9610334721
3	नगरपालिका, रतनगढ़	श्री इन्द्र कुमार 9828524655	श्री नूर मोहम्मद, अधिशाषीअधि.	01567– 222095	226095 / 224335	9829230911 9414402497
4	नगरपालिका, राजलदेसर	श्री गोपाल प्रसाद मारू 9982085888	श्री अजय कुमार	01567– 232504	232604	9460618085 9785096887;JEN)
5	नगर परिषद्, सुजानगढ़	श्री सिकन्दर अली 9414990691	भोलूराम सैनी, क.अभि. 01568–222487	01568–	220004 222419	7062451243
6	नगरपालिका, छापर	श्री महावीर खटीक 9829385803	श्री श्रीकेश कांकडिया, अधिशाषी अधिकारी	01568– 242099	242520	9694346290 01568243117
7	नगरपालिका, बीदासर	श्री खालिद बल्खी 9928720054	समीम बानो, अधिशाषी अधिकारी	01560– 262028	262903	7597482567 9636410587
8	नगरपालिका, सरदारशहर	श्रीमती सुषमा पिंचा 9351645710	श्री अरूण कुमार सोनी श्री सुनील सोनी	01564– 220681	220030	9828193766 8104215189
9	नगरपालिका, राजगढ़	श्री जगदीश बैरासरिया	श्री प्रकाश चन्द्र कार्यवाहक	01559– 222039	222039	9414895361 9413361937
10	नगरपालिका, तारानगर	श्रीमती सरला जांगिड़ 9460905144	श्री विजय कुमार प्रदीप कुमार जेईएन	01561– 240245	241190	9929226330 9667006002

विद्यालय एवं महाविद्यालयजो बाढ/अतिवृष्टि के दौरान अधिग्रहण किये जाने हैः–

तहसील	भवन का नाम
चूरू	1. लोहिया महाविद्यालय, चूरू
	2. बालिका महाविद्यालय, चूरू
	3. बागला सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, चूरू
	4. बागला बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, चूरू
	5. श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी विद्यालय, चूरू
	6. श्री सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला, चूरू
	7. उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चूरू
	8. पारख बालिका विद्यालय, चूरू
	9. गोपीराम गोयनका सी. सैकेण्डरी स्कूल, चूरू
रतनगढ	1. जालान महाविद्यालय, रतनगढ
	2. केशरदेवी महाविद्यालय (छात्रा) रतनगढ
	3. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, रतनगढ
राजगढ	1. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, राजगढ
सरदारशहर	1. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर
	2. राजकीय सी. सैकेण्डरी विद्यालय, सरदारशहर
सुजानगढ	1. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ
	2. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, सुजानगढ
	3. बालिका सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, सुजानगढ

विश्राम गृह

चूरू	1. सा.नि.वि. विश्राम गृह, चूरू
	2. सर्किट हाऊस, चूरू
	3. श्रमिक कल्याण केन्द्र, चूरू
रतनगढ	1. सा.नि.वि. विश्राम गृह, रतनगढ
राजगढ़	1. सा.नि.वि. विश्राम गृह, राजगढ
	2. श्रमिक कल्याण केन्द्र, राजगढ
सरदारशहर	1. सा.नि.वि. विश्राम गृह, सरदारशहर
सुजानगढ	1. सा.नि.वि. विश्राम गृह, सुजानगढ़
तारानगर	1. सा.नि.वि. विश्राम गृह, तारानगर
	2. श्रमिक कल्याण केन्द्र, तारानगर

प्राइवेट भवन तथा धर्मशालायें जो बाढ/अतिवृष्टि के दौरान अधिग्रहण की जानी है:–

चूरू	1. दादू भवन
	2. बजाज गेस्ट हाऊस, चूरू
	3. कुदाल भवन, चूरू
	4. श्री राम मंदिर, चूरू
	5. सोती भवन, चूरू
	6. बजाज भवन, चूरू
	7. सुराणा स्मृति भवन, चूरू
रतनगढ	1. पौद्दार गेस्ट हाऊस व धर्मशाला, रतनगढ
	2. प्रजापति भवन, रतनगढ
	3. फर्ड गेस्ट हाऊस, रतनगढ
	4. दुर्गाप्रसाद धानुका धर्मशाला, रतनगढ
	5. माधवप्रसाद धानुका धर्मशाला, रतनगढ
राजगढ	1. टीकमाणी धर्मशाला, राजगढ
	2. पौद्दार धर्मशाला, राजगढ
	3. बसन्तीदेवी धर्मशाला, राजगढ
	4. सोनी अतिथि भवन, राजगढ
	5. गुलाब भवन, राजगढ
	6. पंसारियों की धर्मशाला, राजगढ
सरदारशहर	1. सवाई बास पंचायती भवन, सरदारशहर
सुजानगढ	1. पाटनी धर्मशाला, सुजानगढ
	2. भराड़िया धर्मशाला, सुजानगढ
	3. जाजोदिया धर्मशाला, सुजानगढ
	4. गाड़ोदिया रेस्ट हाऊस, सुजानगढ
तारानगर	1. नवरंग बंका धर्मशाला, तारानगर

चूरू जिला – मानचित्र अवलोकन